



वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462 016



विषय सूची

अध्याय क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	प्रस्तावना	
अध्याय -2	राज्य बोर्ड का गठन	
अध्याय -3	बोर्ड की बैठकें	
अध्याय -4	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	
अध्याय -5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	
अध्याय -6	पर्यावरणीय अनुसंधान	
अध्याय -7	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	
अध्याय -8	पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी	
अध्याय -9	पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	
अध्याय -10	बोर्ड के वित्त और लेखे	
अध्याय -11	वार्षिक योजना, 2015-2016	
अध्याय -12	राज्य बोर्ड द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य	

परिशिष्ट:-

- बोर्ड के सदस्य।
- बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय।
- जल उपचार संयंत्र लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं खदानों की सूची।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं संस्थानों की सूची।
- प्रकाशन।



प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2014–2015 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर, अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत,

- 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008
- 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
- 4.3 जैव विकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
- 4.4 अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011
- 4.5 नगरीय ढोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
- 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
- 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) 2011
5. मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
- 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामजिक बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रयोगशालाएँ भी कार्यरत हैं।



राज्य बोर्ड के कार्य :

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना,
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना,
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना,
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना,
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना,
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्यीयी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना,
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना,
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना,
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपन्तरण करना या उसे वापस लेना,
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुँए का प्रदूषण संभाव्य है,
- सरिता या कुँए से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें ।



क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व :

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण / प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण ।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के नियाव एवं उत्सर्जन की मॉनिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य ।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग ।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति / सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना । प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना ।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना ।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों आदि में घरेलू जल-मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना ।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के तहत् जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना ।
- पर्यावरण जन-चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।



2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा— 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मण्डल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मण्डल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उधोग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व / नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक सरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।



3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा— 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की 04 बैठकें आयोजित की गईं :

क्रमांक	बैठक संख्या	तिथी	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	133	23.05.2014	भोपाल	12
2	134	29.09.2014	भोपाल	10
3	135	13.02.2015	भोपाल	08
4	136	20.02.2015	भोपाल	07

बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- राज्य शासन एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान राशि के अन्तर्गत प्रयोगशाला उपकरणों का क्य, क्य मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्य मार्गदर्शिका में संशोधन कर राज्य बोर्ड की क्य मार्गदर्शिका अनुसार भण्डार क्य नियमों में संशोधन अनुसार म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से सामग्री क्य करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- मॉनिटरिंग व निरीक्षण कार्य हेतु डी.जी.एस.एण्ड डी. से वाहन क्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
- बोर्ड द्वारा संचालित इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
- बोर्ड द्वारा उद्योगों एवं संस्थानों के प्रकरणों में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले शुल्क के पुर्ण निर्धारण की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
- राज्य शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदित (स्वीकृत) कॉम्प्रीहेन्सिव सेटअप व भर्ती नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल के माध्यम से केन्द्रीय प्रयोगशाला / ई.आर.सी. में रिनोवेशन कार्य अन्तर्गत फॉल्स सीलिंग, फ्लोरिंग, पार्टीशन एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया।
- बोर्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष जूते–मोजे क्य हेतु रुपये 750/- एवं वर्दी (दो नग) सिलाई हेतु रुपये 1000/- की राशि प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान पर स्वीकृति प्रदान की गई।



4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र

राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता को स्वच्छ बनाये रखने एवं इस पर सतत निगरानी हेतु निगरानी नेटवर्क का विकास बोर्ड के संसाधनों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है।

वायु गुणवत्ता प्रबोधन :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन, वायु गुणवत्ता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। वायु गुणवत्ता प्रबोधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ◆ वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति तथा प्रवृत्ति का निर्धारण।
- ◆ शहरी योजना एवं औद्योगिक स्थापनाओं के लिए आवश्यक आधारभूत वायु गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध कराना, तथा
- ◆ वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा उत्तरने के लिए उद्योगों तथा अन्य स्त्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करना।

(1) राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAMP) —

योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 प्रमुख शहरों में 24 अलग—अलग स्थानों पर (आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों वाले स्थान) सप्ताह में दो बार लगभग 24 घण्टे वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सर्स्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं पी.एम. 2.5 प्रचालकों का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनों की संख्या
1	SO ₂	10732
2	NO _x	10890
3	RSPM	5881
4	SPM	3647
5	PM 2.5	746

प्राप्त विश्लेषण परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाईन प्रेषित किये जाते हैं।



(2) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु की निगरानी –

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन संभावित होता है, जो चिमनियों के माध्यम से या सीधे वायु मंडल में विसरित होते हैं। इससे उद्योग के आसपास के वातावरण के प्रदूषित होने की संभावना रहती है। इस वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी., बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर आदि द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप संभावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने हेतु बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु नियमित मॉनिटरिंग करता है।


वर्ष 2014–15 में चिमनियों के कुल 720 एवं औद्योगिक एवं शहरीय परिवेशीय वायु के 2502 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

3. वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रयोगशाला को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2014–2015 में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं (भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, रीवा, सतना एवं सागर, शहडोल, सिंगरौली, कटनी) के माध्यम से कुल 15780 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच का लक्ष्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

जाँच किये गये वाहनों का विवरण :-

वर्ष 2014–2015 में कुल 15007 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच की गई, जिसमें से 1107 वाहन (7.5 प्रतिशत) निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं अनुसार परिणाम तालिका में दर्शित है।





सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें :-


उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :-

- (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित जॉच।
- (2) ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों द्वारा प्रदाय किये जा रहे तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जॉच।
- (3) अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
- (4) शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना।
- (5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश वाहनों की जॉच के समय दी जानी चाहिए।
- (6) पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2014-2015 में कुल लक्ष्य 5472 नमूने निर्धारित किया गया था एवम् इसके विरुद्ध कुल 5102 नमूनों का ध्वनि स्तर मापन किया गया जिसमें से 2418 (47.39 प्रतिशत) नमूने निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये।

Noise Level Monitoring : Year 2014-15





प्रदेश के प्रमुख शहरों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का पूर्ण विवरण :—

वर्ष 2014–2015 में प्रदेश के 35 प्रमुख नगरों भोपाल, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, पीथमपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला, ग्वालियर, उज्जैन, मन्दसौर, शाजापुर, नीमच, देवास, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिण्डौरी, सिंगरौली, कटनी में ध्वनि स्तर मापन किया गया।

शहर क्षेत्रवार अध्ययन से प्राप्त परिणामों का विवरण :—

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के ध्वनि स्तर सर्वेक्षण में कुल 33.56 प्रतिशत ध्वनि स्तर के ऑकड़े निर्धारित मानक से अधिक पाये गये। इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र में 38.82 प्रतिशत, आवासीय क्षेत्र में 14.03 प्रतिशत एवं शॉट क्षेत्र में 35.95 प्रतिशत ध्वनि स्तर के ऑकड़े निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। शहरी क्षेत्रों (वाणिज्यिक आवासीय एवं शॉट क्षेत्र) में ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के मुख्य कारण अत्यधिक वाहनों का आवागमन, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग वैवाहिक एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर / अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है।



कुल (पेट्रोल एवं डीजल चलित) वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2014-2015)

क्रमांक	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहन संख्या)	उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक रीमा में उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक सीमा में उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या वाहनों की संख्या का प्रतिशत
1	Bhopal	1500	1892	94	5.0
2	Ujjain	1500	521	19	3.6
3	Ratlam		56	10	17.9
4	Dewas		477	10	2.1
5	Mandsour		58	3	5.2
6	Neemuch		84	1	1.2
7	Nagda		254	0	0.0
8	Guna	1080	313	0	0.0
9	Vijaypur		271	4	1.5
10	Raghogarh		40	0	0.0
11	Binaura		55	0	0.0
12	Ashoknager		85	0	0.0
13	Shivpuri		136	4	2.9
14	Pilukhedi		35	0	0.0
15	Indore	1500	1383	43	3.1
16	Dhamnode		115	4	3.5
17	Dhar	1500	139	0	0.0
18	Pithampur		260	0	0.0
19	Alirajpur		57	0	0.0
20	Jhabua		94	3	3.2
21	Sagar	1200	1275	98	7.7
22	Orcha		21	1	4.8
23	Gwalior	1500	1388	242	17.4
24	Bhind		50	6	12.0
25	Morena		54	6	11.1
26	Shyopur		131	14	10.7
27	Jabalpur	1500	1954	247	12.6
28	Chhindwara		43	0	0.0
29	Rewa	900	621	94	15.1
30	Satna	900	1106	15	1.4
31	Shahdol	900	650	67	10.3
32	Umariya		282	43	15.2
33	Anup pur		125	23	18.4
34	Singrouli	900	42	0	0.0
35	Dindori		105	19	18.1
36	Katni	900	835	37	4.4
	Total	15780	15007	1107	7.5

मानक सीमा से अधिक पायी गई ध्वनि स्तर मापन संख्या का प्रतिशत
(वर्ष 2014-2015)



	शहर	वणिज्यिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र	रहवासी क्षेत्र	शॉट क्षेत्र
1	भोपाल	99.60	88.57	13.57	44.83
2	इंदौर	56.88	40.28	33.33	20.83
3	धार	31.25	34.88	30.86	0.00
4	अलीराजपुर	37.50	0.00	0.00	0.00
5	झावुआ	32.61	0.00	0.00	0.00
6	पीथमपुर	0.00	0.00	33.33	0.00
7	जबलपुर	33.33	41.67	8.33	44.00
8	सिवनी	29.17	29.17	8.33	41.67
9	छिंदवाड़ा	41.67	41.67	12.50	41.67
10	बालाघाट	33.33	41.67	16.67	56.52
11	नरसिंहपुर	25.00	33.33	16.67	33.33
12	मण्डला	64.48	83.33	45.92	66.23
13	ग्वालियर	62.50	70.83	29.17	83.33
14	उज्जैन	0.00	0.00	25.00	87.50
15	मन्दसौर	75.00	58.33	25.00	91.67
16	गाजापुर	79.17	42.31	66.67	52.08
17	नीमच	45.45	23.75	0.00	45.83
18	देवास	0.00	0.00	0.00	36.96
19	गुना	20.00	0.00	0.00	0.00
20	राजगढ़	25.00	25.00	0.00	0.00
21	शिवपुरी	81.48	95.96	0.00	100.00
22	अशोकनगर	25.00	25.00	0.00	0.00
23	सागर	81.48	95.96	0.00	100.00
24	टीकमगढ़	96.67	0.00	0.00	91.67
25	पन्ना	33.33	0.00	80.00	0.00
26	छतरपुर	0.00	100.00	0.00	0.00
27	सतना	36.26	20.83	25.00	23.96
28	रीवा	49.17	28.33	4.17	36.11
29	सीधी	21.74	13.04	0.00	91.30
30	हडोल	47.92	28.13	12.50	37.50
31	उमरिया	33.33	25.00	0.00	18.75
32	अनूपपुर	18.75	12.50	0.00	0.00
33	डिण्डौरी	25.00	0.00	0.00	0.00
34	सिंगरौली	0.00	43.75	0.00	0.00
35	कटनी	16.67	31.25	4.17	12.50
		38.82	33.56	14.03	35.95

नोट:- * सभी परिणाम मानक सीमा में पाये गये।



जल गुणवत्ता प्रबोधन :

जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव अस्तित्व, उद्योग, खेती के लिए स्वच्छ जल एक आवश्यक स्थाई स्त्रोत है। नदी, तालाब, झील और कुएं पेयजल के मुख्य स्त्रोत हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रमुख कार्य जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना, संकलित करना तथा उन्हें विश्लेषित करना है। अतः नियमित प्रबोधन तथा निगरानी बहुत आवश्यक है।

राज्य में जल गुणवत्ता के निगरानी हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है:-

1. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्प्लिंग स्थानों से वर्ष 2014-15 में कुल 53 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना में कुल 1584 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये तथा विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

3. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, तथा उपयोग पश्चात् ही दूषित जल उत्पन्न होता है। बोर्ड ऐसे उद्योगों को निर्देश देता है कि निस्सारित होने वाले जल का शोधन इस प्रकार करें कि शोधित दूषित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशाला के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित ऑकलन करता है।

विचाराधीन वर्ष में विभिन्न उद्योगों से कुल 4664 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

4. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की निगरानी :-

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बॉधों, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2014-15 में कुल 4694 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के अनुसार प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया जा रहा है।



5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्त्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जॉच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदाने
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	1475
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	1475
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया जा रहा है।	104

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदाने
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	1329
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं।	1329
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया जा रहा है।	201

नोट : बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, सोलर, हाईडल व विन्ड पॉवर संस्थानों को गंभीर वायु प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखा है।

विचाराधीन वर्ष में दूषित जल उपचार व्यवस्था तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार/ स्थापना करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची कमशः परिशिष्ट 3 व 4 पर है।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की कुल संख्या 14678 है, जिसमें वृहद श्रेणी 453, मध्यम श्रेणी 1022 तथा लघु श्रेणी के 13203 उद्योग शामिल हैं। (लाल श्रेणी 7326, नारंगी श्रेणी 5023 एवं हरी श्रेणी 2329)



उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ :

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

वर्ष 2014–15 में 205 वृहद, मध्यम उद्योगों को स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मतियाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2014–15 में 132 वृहद एवं मध्यम उद्योगों को उत्पादन सम्मतियाँ जारी की गईं।

इसी प्रकार की प्रक्रिया लघु श्रेणी के उद्योगों में भी अपनाई जाती है। वर्ष 2014–15 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 424 लघु उद्योगों को स्थापना हेतु स्थापना सम्मति तथा 850 लघु उद्योगों को उत्पादन सम्मति जारी की गई। क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना सम्मति की संख्या	उत्पादन सम्मति की संख्या
1	भोपाल	54	126
2	इन्दौर	84	110
3	धार	61	98
4	उज्जैन	0	68
5	गुना	11	35
6	ग्वालियर	57	77
7	सागर	23	58
8	सतना	04	41
9	रीवा	04	60
10	कटनी	65	18
11	शहडोल	09	53
12	सिंगरौली	01	13
13	जबलपुर	111	93
	कुल	424	850

उद्योगों को जारी सम्मति नवीनीकरण :

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मति का एक साथ 10 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का 05 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का 03 वर्ष तक नवीनीकरण किया जाता है। वर्ष 2014–15 में बोर्ड मुख्यालय द्वारा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 1029 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण पत्र जारी किये गये। इसी प्रकार की प्रक्रिया लघु श्रेणी के उद्योगों में भी अपनाई जाती है। वर्ष 2014–15 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के 5176 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण पत्र जारी किये गये।



पर्यावरण प्रभाव अध्ययन :

औद्योगिक गतिविधियों का पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के ऑकलन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष में 42 उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

वृक्षारोपण :

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2014–15 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले 12 उद्योगों की सूची परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

पर्यावरण विवरण :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे – कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं।



परिशिष्ट “अ”

वर्ष 2014–15 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स एम.पी. स्टेट बाक्साइड माइन्स, ग्राम चचाणडीह, जिला अनूपपुर
2.	मेसर्स खजुराहो स्टोन्स (इंडिया) प्रा.लिमि., ग्राम लुहानी रॉक फारफेट डिपोजिट, रकबा 13.20 हेक्टेयर, छतरपुर
3.	मेसर्स म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, रुद्ध मध्यम सिंचाई परियोजना, विश्रामगंज, पन्ना
4.	मेसर्स श्री नरेन्द्र जैन, पायरोफ्लाईट खदान, रकबा 14.00 हेक्टेयर, ग्राम वैरवार, टीकमगढ़
5.	मेसर्स श्री प्रभाकर मिश्रा, पायरोफ्लाईट खदान, रकबा 7.00 हेक्टेयर, ग्राम वैरवार, टीकमगढ़
6.	मेसर्स रखेला ट्रेडर्स एण्ड फायरेंस प्रा.लिमि., पायरोफ्लाईट खदान, रकबा 10.83 हेक्टेयर, ग्राम मड़खेरा, टीकमगढ़
7.	मेसर्स आर.एस.पी.एल. प्रा.लिमि., औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवाँ, सागर
8.	मेसर्स राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली, कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, छतरपुर
9.	मेसर्स राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली, कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, पन्ना
10.	मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोजेक्ट, यूनिट नं.-03, औद्योगिक क्षेत्र सोरई, तहसील बण्डा, जिला सागर
11.	मेसर्स जयलाल भरतलाल ओकर माइंस, ग्राम कुम्हरा जुड़मानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा
12.	मेसर्स लच्छीलाल एण्ड संस ओकर माइंस, ग्राम कुम्हरा जुड़मानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा
13.	मेसर्स लक्ष्मी गौर मार्वल (प्रा) लिमि., रकबा 2.26 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
14.	मेसर्स लक्ष्मी गौर मार्वल इण्डस्ट्रीज, रकबा 2.26 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
15.	मेसर्स लक्ष्मी गौर मार्वल (प्रा) लिमि., रकबा 1.02 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
16.	मेसर्स शिवशक्ति मार्वल, रकबा 3.42 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
17.	मेसर्स अब्दुल रज्जाक नीमेश मार्वल माइन, रकबा 2.67 हेक्टेयर, ग्राम नीमेश, जिला कटनी
18.	मेसर्स तेजस्वी माइनिंग, रकबा 2.67 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
19.	मेसर्स बाहुवली मार्वल्स, रकबा 2.06 हेक्टेयर, ग्राम छपरा, जिला कटनी
20.	मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स लिमि., जामुनीखुर्द लाईम स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइनिंग, रकबा 7.89 हेक्टेयर, ग्राम जामुनीखुर्द, जिला कटनी
21.	मेसर्स ओसीएल इंडिया लिमि., मुगदरा डोलोमाइट माइन एण्ड कैशर, रकबा 19.223 हेक्टेयर, ग्राम मुगदरा, जिला मण्डला
22.	मेसर्स गल्फ इस्पात लिमि., ग्राम गुधरा, जिला जबलपुर
23.	मेसर्स एन.डी. उपाध्याय, रकबा 8.09 हेक्टेयर, ग्राम कटंगी, जिला बालाघाट
24.	मेसर्स यूनिटी पल्प एंड पेपर्स, ग्राम गांधीग्राम, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
25.	मेसर्स मोडॉन मिनरल्स, रकबा 10.0 हेक्टेयर, ग्राम मदकासुर, जिला छिंदवाड़ा
26.	मेसर्स श्रीमती नीतू सिंह, लेटराइट माइन्स, ग्राम विटमा, तहसील विरसिंहपुर, रकबा 19.002 हेक्टेयर
27.	मेसर्स सदीप कुमार बंसल माइंस, ग्राम पालदेव, रकबा 16.187 हेक्टेयर, जिला सतना
28.	मेसर्स निर्मला देवी खेमका माइंस, ग्राम कुचमैला, रकबा 24.587 हेक्टेयर, जिला सतना
29.	मेसर्स अजय कुमार पाठक हिनोती लाइम स्टोन माइंस, रकबा 16.264 हेक्टेयर, जिला सतना
30.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लिमि., वरहिया लाइम स्टोन माइंस, रकबा 7.102 हेक्टेयर, जिला सतना
31.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लिमि., भठिया लाइम स्टोन माइंस, रकबा 45.88 हेक्टेयर, जिला सतना



32.	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमि, हिनौती सिजहटा लाइम स्टोन माइंस, रकवा 253.326 हेक्टेयर, जिला सतना
33.	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमि, हिनौती सिजहटा लाइम स्टोन माइंस, रकवा 772.067 हेक्टेयर, जिला सतना
34.	मेसर्स नेपा मिल लिमि, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
35.	मेसर्स यूनिटी पत्थ एण्ड पेपर्स, औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन
36.	मेसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल (मोहासा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना) तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद
37.	मेसर्स मध्य प्रदेश रोड डेकलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. भोपाल जबलपुर-भोपाल रोड (एन.एच. 12) के उन्नयन / विस्तारीकरण की परियोजना
38.	मेसर्स ल्यूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन
39.	मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमि. (पाथाखेड़ा एरिया) गांधी ग्राम भूमिगत कोयला खदान, जिला वैतूल
40.	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
41.	मेसर्स इन्ड इण्डस्ट्रीज प्रा.लिमि. (एसएसपी विस्तार), संदला, बदनावर, जिला धार
42.	मेसर्स एग्रोफॉस लिमि. (एसएसपी प्लांट), मेघनगर, झावुआ

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2014–15 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले उद्योगों/संस्थानों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स, अमलाई, जिला शहडोल
2.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
3.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया, जिला अनूपपुर
4.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट, यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि., जिला रीवा
5.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट, यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि., जिला सीधी
6.	मेसर्स अमलोरी प्रोजेक्ट नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
7.	मेसर्स निगाही प्रोजेक्ट नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
8.	मेसर्स दुधिचुआ प्रोजेक्ट नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
9.	मेसर्स ब्लाक वी प्रोजेक्ट नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
10.	नगर निगम इन्दौर
11.	मेसर्स सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद
12.	मेसर्स ट्राईडेन्ट लिमि., बुधनी, जिला सीहोर



जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील है जिसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना “इन्वेन्टराइजेशन ऑफ हेल्थ केर फेसिलिटी” के तहत किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014–15 तक राज्य में कुल 2745 शैव्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 485 अन्य चिकित्सा संस्थान यथा—ब्लड बैंक, पैथालॉजी एवं एक्स-रे इत्यादि (कुल 3230 चिकित्सा संस्थान) चिन्हित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार क्लीनिक, ब्लड बैंक एवं अन्य चिकित्सीय संस्थान जो प्रतिमाह 1000 रोगियों से कम का इलाज करते हैं उन्हें बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तदानुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2014–15 के अंत तक 2042 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

शैव्यायुक्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या 65428 चिन्हित की गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था बाबत प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक—पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्थाओं की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान में 13 स्थानों पर कुल 14 संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाएँ की गई हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	स्थान	संख्या	संचालक का नाम
01.	ग्वालियर	1 (इंसीनरेटर)	जयारोग्य अस्पताल द्वारा स्थापित एवं डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।
02.	जबलपुर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स एलिट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित।
03.	इंदौर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स हॉस्पिन इंसीनरेटर प्रा. लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं संचालित।
04.	भोपाल	2 (इंसीनरेटर)	► मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर प्रा. लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं संचालित। ► मेसर्स पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा स्थापित एवं संचालित।
05.	सागर	1 (डीप बरियल)	मेसर्स बुदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा स्थापित एवं संचालित।
06.	छिंदवाड़ा	1 (डीप बरियल)	मेसर्स चन्द्रा प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित।
07.	सतना	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेण्ट, सतना द्वारा स्थापित एवं संचालित।
08.	आगरा (उत्तरप्रदेश)	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स दत्त इंटरप्राइजेस, आगरा द्वारा आगरा में संचालित (मुरैना के वेस्ट परिवहन हेतु)।
09.	शावितनगर (उत्तरप्रदेश)	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स लेवको इन्स्ट्रूमेन्ट, लखनऊ द्वारा संचालित (सीधी का वेस्ट परिवहन हेतु)।
10.	सिवनी	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स कृषा वेस्टेज, सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित।
11.	रतलाम	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स बायो मेडिकल एसोसियेशन, रतलाम द्वारा रतलाम में स्थापित एवं संचालित।
12.	सिहोर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, सिहोर द्वारा सिहोर में स्थापित एवं संचालित।
13.	झासी (उत्तरप्रदेश)	1 (डीप बरियल)	मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन डिस्पोजल कमेटी, झासी द्वारा संचालित (शिवपुरी का वेस्ट परिवहन हेतु)।



उपरोक्त संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं में प्रदेश के 2571 चिकित्सा संस्थान जुड़ गये हैं जबकि अन्य संस्थानों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के आधार पर जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में जगह-जगह पर सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। बोर्ड द्वारा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन बावत् प्रदेश में “राज्य स्तरीय जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी सलाहकार समिति” का गठन किया गया है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 04.04.2014 को आयोजित की गयी है। बैठक में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के लागू किये जाने की समीक्षा एवं कार्यशाला की गई।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन :

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 दिनांक 24/09/2008 से अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों के पूर्व में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 प्रचलित थे जिसके तहत कुल 1619 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं।

म.प्र.में कुल प्राधिकृत उद्योगों की संख्या (क्षेत्रीय कार्यालय वार) निम्नानुसार है।

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	उधोगों की संख्या
1.	भौपाल	143
2.	धार	244
3.	गुना	31
4.	उज्जैन	143
5.	रींवा	26
6.	सातना	38
7.	सागर	39
8.	ग्वालियर	170
9.	जबलपुर	266
10.	इन्दौर	333
11.	शाहडोल	74
12.	कटनी	31
13.	सिंगराँली	30
	कुल संख्या	1568

वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड द्वारा कुल 1568 उधोगों को प्राधिकार दिये गये, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:—

प्रदेश के वृहद एवं मध्य श्रेणी के उधोग — 598

लघु श्रेणी के उधोग — 970

(अ)	इंसीनरेबल अपशिष्ट	—	15404.38	मैट्रिक टन
(ब)	पुर्नउपयोग / विक्य हेतु	—	211430.56	मैट्रिक टन
(स)	लेण्डफिल हेतु	—	77752.13	मैट्रिक टन

इस कार्यकाल के दौरान परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित कोई भी विशेष दुर्घटना प्रदेश में घटित नहीं हुई है।



परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के 10 उद्योगों द्वारा स्वयं परिसर में भस्मक (Incinerator) लगाकर अपशिष्टों के दहन की व्यवस्था की है एवं 9 उद्योगों ने अपशिष्टों को अपवहित करने हेतु स्वयं की डिस्पोजल साईट विकसित की है तथा उसमें अपशिष्टों का अपवहन किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला-धार में स्थल चिन्हित कर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल द्वारा बिडिंग के माध्यम से फैसिलिटी आपरेटर के रूप में मेसर्स रामकी इंवायरों इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद का चयन बिल्ड ऑन आपरेट एण्ड ट्रॉसफर के आधार (BOOT basis) पर कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी (सी.टी.एस.डी.एफ.) विकसित करने हेतु किया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु सुविधा के विकास हेतु लगभग 60 एकड़ भूमि प्लाट नं. 104 औद्योगिक क्षेत्र – 2, पीथमपुर धार में आवंटित की है।

फैसिलिटी आपरेटर द्वारा स्थल की ई.आई.ए. तैयार करने के पश्चात ईआईए नोटिफिकेशन 1994 के प्रावधानों के तहत लोक सुनवाई की प्रक्रिया करवाई गई व तदउपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थल को अधिसूचित किया गया था। पीथमपुर जिला-धार में कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनजमेंट फैसिलिटी पीथमपुर के नाम से की गई है। इस डिस्पोजल साईट में निम्न सुविधाओं का विकास किया गया :—

1. अपशिष्टों के भडारण हेतु व्यवस्था।
2. अपशिष्टों के सॉलिडिफिकेशन / स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
3. सिक्योर्ड लैण्डफिल सेल।
4. लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवापोरेशन पोंड।
5. अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
6. अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग वे इत्यादि।
7. इंसिनरेटर की स्थापना।

इस सुविधा में खतरनाक अपशिष्टों के डायरेक्ट लेण्डफिल एवं उपचार उपरांत भूमि भराव (लेण्डफिल) करने की क्षमता निम्नानुसार है :—

1. डायरेक्ट लेण्डफिल — 50,000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
2. सॉलिडिफिकेशन / स्टेबलाईजेशन — 20,000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष

इस सुविधा द्वारा नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मार्च 2015 तक इसमें लगभग 64743 मैट्रिक टन अपशिष्ट का अपवहन भी किया जा चुका है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित की गई वेवसाइट नेशनल हजार्डस वेस्ट इंनफोरमेशन सिस्टम में बोर्ड द्वारा inventory की जानकारी अपलोड की गई, यह जानकारी के अतिरिक्त 2009 एवं 2010 के inventory की जानकारी भी उक्त वेवसाइट पर अपलोड की गई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसके द्वारा उक्त जानकारी को नेशनल हजार्डस वेस्ट इंनफोरमेशन सिस्टम में अपलोड किया गया जिसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशंसा की गई।



बोर्ड द्वारा उद्योगों का समय—समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों द्वारा नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाये तथा आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों को नियमानुसार दिशा—निर्देश जारी कर कार्यवाही की जाती है।

बैटरीज प्रबंधन एवं हथालन

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का. आ. 432 (अ) दिनांक 16.05.2001 द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001 बनाया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बैटरीज विनिर्मातक, आयातकर्ता, सरम्मत करने वाले, समायोजन, व्यवहारी, पुनः चक्रणकर्ता, उपभोक्ता और बैटरी के विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय व उपयोग में लगे प्रमुख उपभोक्ताओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2014–15 तक 48 पुनः पर्यावरण क्रिये गये हैं। जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रिय तकनीकी से आयोजित लेड एसिड बैटरीयों से लेड + प्लास्टिक का पुनः चक्र किया गया है।

पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण, उपयोग एवं अपशिष्ट प्रबंधन –

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 249 / (अ) दिनांक 04.02.2011 के माध्यम से पुनःचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण एवं उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन) नियम 1999 की उन बातों के सिवाय ऐसे अधिकमण से पहले की गई या करने से रोक किया गया है। अधिकांत करते हुये – “अपशिष्ट प्लास्टिक” (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 जारी किये गये हैं। उपरोक्त अधिसूचना नियम— 4 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबंध नगरपालिका प्राधिकरण होगी।

प्लास्टिक नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु राज्य शासन की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है, जिससे अमानक पॉलिथीन कैरीबेग के प्रचलन को नियंत्रित करना अधिक प्रभावी हुआ है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट निष्पादन के संबंध में पूर्व में की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में 35 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर अमानक स्तर की लगभग 430.795 कि.ग्रा.०० पॉलीथीन जब्त की गई है।

वर्ष के दौरान म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में लगभग 144 जन-जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, वर्कशाप इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 से प्लास्टिक कचरे का सीमेन्ट विलन में कोयले के साथ सहदहन की व्यवस्था की गई है, वर्तमान में 7 सीमेन्ट उद्योगों में यह व्यवस्था है, एवं वर्ष 2014–15 तक लगभग 11000 मी.टन प्लास्टिक कचरे का सीमेन्ट विलन में सहदहन किया जा चुका है।



वर्ष के दौरान कबाड़ियों एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित लगभग 3200 मी.टन प्लास्टिक कचरे को सीमेन्ट विलन द्वारा सहदहन किया गया है, जिससे परोक्ष रूप से लगभग 8000 मी.टन कोयले की बचत संभव हो सकी है।

ई-वेस्ट प्रबंधन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 दिनांक 01 मई, 2012 से पूरे देश में लागू किये गये हैं। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ई-वेस्ट जिसमें इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो कि नियम की अनुसूची-01 में दर्शाये गये हैं। बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों कमशः भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में माइक्रोलेबल इन्वेन्टराईजेशन का कार्य किया गया है। संभागवार ई-वेस्ट की मात्रा वर्ष 2011 की स्थिति में निम्नानुसार संभावित थी।

क्रमांक	संभाग	मात्रा (मी.टन / वर्ष)
1	भोपाल	62928.76
2	ग्वालियर	15324.09
3	इंदौर	31164.33
4	जबलपुर	30548.32

वर्ष 2014–15 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर संभागों के अतिरिक्त अन्य 6 संभागों में ई-वेस्ट का माइक्रोलेबल इन्वेन्टराईजेशन का कार्य अनुसूची-1 में दर्शायें गये उपकरणों के लिये किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट के प्रबंधन एवं जागरूकता संबंधी कार्यशालाएँ लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, धार, उज्जैन, रीवा एवं सतना शहरों में आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निम्नानुसार प्रमुख बिन्दु उभर कर आये:—

- (1) “ई-वेस्ट प्रबंधन” संबंधी कानूनी व्यवस्था तथा अन्य जानकारियों के लिये और अधिक जागरूकता अभियान चलाये जाना चाहिये।
- (2) स्थानीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन की जानी चाहिये ताकि जन-भागीदारी बढ़ाई जा सके।
- (3) कार्यशाला में यह सुझाव आया था कि जिस प्रकार सभी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में आपरेशन मैन्युअल दिया जाता है उसी प्रकार डिस्पोजल का तरीका भी सुझाया जाये।
- (4) स्कूल सिलेबस में भी पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत ई-वेस्ट के सही प्रबंधन हेतु शिक्षाप्रद लेख शामिल किये जायें।
- (5) ई-वेस्ट जनरेटन के लिये कड़े नियमों का प्रावधान एवं जिम्मेदारी स्पष्ट की जानी चाहिए।
- (6) ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स कीओर से विशेष रूप से यह मुददा उठाया गया कि ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सुविधा के विकास के लिये आयातित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में ड्यूटी शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।
- (7) प्रादेशिक स्तर पर ई-वेस्ट प्रबंधन पर जागरूकता तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कलेक्शन सेंटर का विकास किया जाना चाहिए ताकि इन्हें एकत्र कर रीसाइक्लर्स की सुविधा का लाभ उठाया जा सकें।

बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 के तहत ई-वेस्ट के रिसाइक्लिंग हेतु पंजीकृत एवं प्राधिकृत संस्थानों की सूची निम्नानुसार है। विस्तृत जानकारी बोर्ड के वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।

म.प्र. में पंजीकृत एवं प्राधिकार प्राप्त भंजक, पुर्नचक एवं संग्रहण केन्द्र



SNo	Name of Collection Centre/Dismantler/Recycler	Capacity in MT/Annum
1	M/s Unique Eco Recycle, Indore -Dismantler & Recycler .	15.0
2	M/s Hostech Eco Management Pvt Ltd, Indore - Dismantler	7020.0
3	M/s Unique Eco Recycle, Indore - Collection Centre	120.0
4	M/s Global E -Waste Collection Centre, Indore - Collection Centre	5.0
5	M/s Best IT Word (India) Pvt.Ltd. Indore - Collection Centre	0.72
6	M/s Bharti Airtel Ltd., Indore- Collection Centre	6.0
7	M/s Attero recycling Pvt Ltd. Indore - Collection Centre	300.0
8	M/s Dalit Enterprises, Bhopal- Collection Centre	15.0
9	M/s Madiha Referigeration & Scrap Works, Bhopal - Collection Centre	6000.0
10	M/s Sarthak Samudayik Vikas Avam Jan Kalyan Sangathan, Deewavganj, District Raisen - Collection Centre	60.0
11	M/s Green Earth Recycling, Bhind - Collection Centre & Dismantler	2400.0
12	M/s Manmohan Kochhar, Jabalpur - Collection Centre	600.0
13	M/s Green City E -Waste Center, Rewa - Collection Centre	5.0

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन प्रदेश सहित संपूर्ण देश में एक चुनौती पूर्ण कार्य है। भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2000 बनाये गये हैं, जिनके तहत धारा-4 (1) में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व नगरीय निकाय एवं नियमों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी धारा (5) के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर की है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व घरेलू अपशिष्ट का डिस्पोजल स्थल के आस-पास जल एवं वायु गुणवत्ता मापन तथा कम्पोस्ट गुणवत्ता मापन का है। नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने तथा बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का दायित्व है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना है।

प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति –

प्रदेश में 15 नगरपालिक निगम, 361 नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सहित 05 छावनी परिषद अर्थात् कुल 381 नगरीय निकाय संस्थान हैं। कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 6757 मी.टन प्रतिदिन है।

बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से नियमों के पालन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

- बोर्ड मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नगरीय निकायों/स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने हेतु पर्याप्त संख्या में सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/रैली आदि कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा की गई तथा उन्हें समझाईश दी गयी।
- नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन कराने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये हैं तथा नियमों के पालन बावत् पत्र/निर्देश/समझाईश जारी किये गये हैं।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अंतर्गत नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये हैं तथा निकायों से पालन प्रतिवेदन/योजना मांगी गयी है। म.प्र. शासन को भी सूचित किया गया है।



6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई—नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उददेश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया—

1 म.प्र. के प्रमुख शहरों के शहरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र की परिवेशीय वायु के संर्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर विशेषतः रेस्पायरेवल संर्पेंडेड पर्टीकुलेट मैटर में पॉली ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन:-

वर्तमान समय में परिवेशीय वायु प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्भित माध्यमों द्वारा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। प्रदूषणकारी तत्वों का लगातार परिवेशीय वायु में उत्सर्जन सिर्फ मनुष्य ही नहीं वरन् वस्तुओं पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। वर्तमान में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग के अंतर्गत Criteria pollutants (SO_2 , NO_x , SPM) के अतिरिक्त अन्य विषेले प्रदूषकों की जॉच भी मानव स्वास्थ्य के परिपेक्ष्य में आवश्यक है। अतः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नागदा एवं देवास क्षेत्र की परिवेशीय वायु में पॉली ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणाम पॉली ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन Benzo (a) anthracene, Benzo (b) fluoranthene एवं Benzo (a) pyrene की अनुपस्थित दर्शाते हैं।

2 रिछाई औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर के भूजल गुणवत्ता की जॉच।

औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के दूषित जल / ठोस अपशिष्ट के भूमि में रिसन के कारण भूमिगत जल में प्रदूषण एवं मात्रा बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक कारणों से भी भूमिगत जल में कुछ हानिकारक तत्वों की उपस्थिति निर्धारित मात्रा से अधिक पाई जाती है, जो कि मानव जाति एवं वनस्पतियों के लिये हानिकारक होती है। उक्त संभावना के परिपेक्ष्य में क्षेत्र के भूजल गुणवत्ता का परीक्षण किया गया। प्राप्त परिणाम के आधार पर कुछ स्थानों के भूमिगत जल में की Hardness बी.आई.एस. 10500 द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक प्राप्त हुआ है किन्तु अन्य प्रचालक की मात्रा तय मानक सीमा में ही प्राप्त हुई है।

3 सागर शहर में स्थित पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र के क्लोरीनयुक्त जल में विशेषतः ट्रायहेलोमिथेन की उपस्थिति पर अध्ययन।

सागर शहर के विभिन्न जल शुद्धिकरण संयंत्र पर क्लोरीन उपचार के पश्चात् उत्पन्न होने वाले ए.ओ. एक्स. यौगिकों का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है यह महत्वपूर्ण है कि कुछ ट्रायहेलोमिथेन यौगिक कैंसर कारी होते हैं अतः इनकी मात्रा के आंकलन के पश्चात् ट्रायहेलोमिथेन यौगिकों की पहचान तथा मात्रा का आंकलन पर अध्ययन किया गया। प्राप्त आंकड़े पेयजल में ट्रायहेलोमिथेन की उपस्थिति तो दर्शाते हैं किन्तु उनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं ई.पी.ए. एवं बी आई एस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई।

4 कोल आधारित ताप विद्युत गृह के स्त्रोत एवं आसपास के परिवेशीय वायु में पार्टिकल बाउण्ड मर्करी की उपस्थिति पर अध्ययन।

सारणी क्षेत्र में स्थापित विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से वातावरण में मर्करी प्रदूषण के आंकलन हेतु अध्ययन वर्ष 2014–15 में प्रारंभ किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत मृदा, भूजल, कोयले के नमूनों में मर्करी धातु का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषित नमूनों में मर्करी की उपस्थिति निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई।



5 नर्मदा नदी जैव निरीक्षण

मो प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, नर्मदा नदी जैव निरीक्षण' परियोजना का कार्य द्वारा संपादित किया जा रहा है, इस कार्य के तहत नर्मदा नदी के उदगम स्थल अमरकंटक से लेकर म. प्र. की अन्तिम सीमा बड़वानी (कोटेश्वर) तक कुल 30 बिंदुओं पर अकशेरुकी जीवों द्वारा जल की गुणवत्ता की जाँच संबंधित अध्ययन कार्य किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता उक्त स्थानों पर वर्ग ए से वर्ग सी स्तर की प्राप्त हुई हैं।



Accreditation

Central Lab is enlisted vide Gazette Notification dated 8/2/2008 under Water [Pollution Control & Prevention] Act, 1974 under section 16[3]. Since its inception, the lab has obtained following accreditation:-

1. Environmental Protection Act [1986]
2. NABL- ISO/IEC 17025:2005 [International Quality System] in the year 2011 [for water and waste water].
3. OHSAS 18001:2007 - [Occupational Health and Safety Assessment Series] Certification in the year 2013 for occupation health & Safety of the laboratory personnel.

Central lab is among very few laboratory within all State Pollution Control Board's Laboratory having the NABL - ISO / IEC 17025:2005 quality management certification including OHSAS 18001:2007 Certification and recognition under EPAct 1986.



7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता :

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिसाव व उत्सर्जन मानकों के कियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये।

- ❖ वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिसाव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- ❖ पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- ❖ जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- ❖ प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- ❖ सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- ❖ पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- ❖ खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय—समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से दो-दो प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

1 Fire safety by All India Institute of Local Self Government - Date: 7 July, 2014

2 Chemical safety, Ergonomics and General Occupational Health & Safety Awareness- Date: 16 July, 2014

3 Trainings also imparted to students of various Educational institutes.



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	Make Indian Cement plants World class in Green	C II	Hyderabad	15 to 16 may, 2014	1. Dr. N.P. Shukla, Chairman 2. Dr. P.S. Bundela, R.O. Bhopal
2	Green Building & Building Rating Systems	PHD Chamber,	Bhopal	30 May, 2014	1. Dr.(Smt) Saroj Shrivastava, Scientist, R.O. Indore
3	Bio Medical waste Management	Zonal Office C.P.C.B. Bhopal	Bhopal	4 July, 2014	1. Dr. Mazid Qureshi, Jr.Sci, R.O. Bhopal 2. Shri Arvind Singh, Chemist, Bhopal
4	Best Practices in Environmental Governance,	C.S.E., Delhi	Delhi, Sweden & Norway	3 to 17 October, 2014	1. Sr. Mukesh Shrivastava, E.E., R.O. Guna
5	Development in Technology for Sewage Generation, Collection, Treatment and Disposal	E.S.C.I., Hyderabad	Hyderabad	22 to 26 September, 2014	1. Shri R.R. Senger, A.E., R.O. Bhopal
6	Water Testing Laboratory	NEERI	Nagpur	18 to 22 August 2014	1. Shri S.K. Gupta, Chemist, Indore 2. Shri Rajesh Gabhe, Chemist, S.R.O. Nagda 3. Shri R.K. Jain, Chemist, Jabalpur. 4. Shri B.M. Patel, Chemist, Shahdol.
7	Real Time Data Collection from Continuously Monitoring System	C.P.C.B.	New Delhi	06 August 2014	1. Dr. Reeta Kori, C.S.O., Bhopal 2. Dr. Abhaya Saxena, C.C., Bhopal 3. Dr. P.K. Shrivastava, Sci., Bhopal.
8	Green Productivity (GP) Manual Development Compilation of GP Case Studies.	N.P.C. New Delhi	Tokyo, Japan	18 to 21 November 2014	Dr. Sunil Sudhakaran, Scientist, Bhopal.
9	Water, Sewage, Refuse and Recycling Session on Integrating Boi- Treated Wastewater Reuse and Valorization with enhanced water use to support Green Economy in Europe and India.	I.G.E.P., New Delhi	Mumbai	9 to 11 October 2014	1. Dr. N.P. Shukla, Chairman. 2. Shri Hemant Sharma, S.E.Z., Dhar 3. Dr. P.S. Bundela, R.O. Bhopal,
10	Watertack India	Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd, Mumbai	New Delhi	10 to 11 September 2014	1. Dr. N.P. Shukla, Chairman. 2. Shri R.K. Shrivastava, S.E., Bhopal
11	Off-Site emergency management planning.	D.M.I.	Bhopal	30 July 2014	1. Dr. P.S. Bundela, R.O., Bhopal. 2. Dr. Rajendra Chaturvedi, Sci., Bhopal 3. Dr. Sangeeta Dani, Sci., R.O. Bhopal.



12	Environmental Data interpretation, compilation, analysis.	I.S.I.	New Delhi	24 to 26 Feb. 2015	1. Ms. Aruna Choubey, Chemist, Bhopal 2. Shri C.S. Patel, Chemist, Satna.
13	Air dispersion modeling	TERI, New Delhi	New Delhi	26 to 28 Nov. 2014	1. Shri Abhay Saraf, E.E., Bhopal. 2. Shri Adesh Shrivastava, E.E., Bhopal.
14	Occupational Safety and Health management System	N.I.O.H.	Ahmedabad	16 to 18 Dec. 2014	1. Shri Pratim Khare, Scientist, Ujjain. 2. Shri Atul Kotiya, Chemist, Indore.
15	Measurement of POPs in Environmental samples.	CSIR-NGRI	Hyderabad	24 to 29 Nov. 2014	1. Dr. Tasneem Soofi, Scientist, R.O. Bhopal. 2. Mrs. Vineeta Goutam, Chemist, Bhopal.
16	Environmental Health and Safety Management in process industries.	IIT, Roorkee	Roorkee	27 to 29 Nov. 2014	1. Dr. Rajendra Chaturvedi, Scientist, Bhopal. 2. Shri Manoj Jain, Chemist, Bhopal
17	Capacity building on E-Waste and E-Waste Rules.	C.S.E.	New Delhi	18 to 20 Nov. 2014	1. Shri H.S. Malviya, E.E., Bhopal 2. Shri Praveen Kothari, Chemist, R.O. Bhopal.
18	Capacity building on E-Waste and E-Waste Rules.	C.S.E.	New Delhi	17 to 19 Dec., 2014	1. Dr. P.K. Shrivastava, Scientist, Bhopal 2. Shri T. Banerjee, Jr. Scientist, Jabalpur. 3. Shri G.K. Baiga, Chemist, R.O. Shahdol.
19	Wastech (International Summit & Expo)4R's: A way to Sustainability.	G.P.C.B.	Gandhinagar	21 to 23 Nov. 2014	Shri A.A. Mishra, Member Secretary, Bhopal.
20	ISO/IEC 17025: 2005	IHQM	Jaipur	24 to 27 Nov. 2014	1.Dr. Reeta Kori, C.S.O., Bhopal 2.Dr. Nisha Upadhyaya, Scientist, Bhopal. 3.Dr. P.K. Shrivastava, Scientist, Bhopal. 3.Dr. D.K. Wagela, C.C., R.O. Indore,
21	Methodology/Techniques of Source Emission Monitoring	B.H.E.L.	Ranipur, Haridwar	02 to 04 Dec. 2014	1.Shri D.S. Jatav, Scientish, Jabalpur. 2.Shri Ravi Bharti, Chemist, R.O., Bhopal.
22	Analysis of Water, Waste Water , Soil & Hazardous Waste	G.B. Pant University	Pant Nagar, Uttarakhand	02 to 06 Dec. 2014	Dr. Shubhi Mathur, Chemist, R.O. Rewa.
23	IWWA Conference, 2015	IWWA	Kolkata	21 Jan. 2015	Shri Hemant Sharma, S.E.Z., Dhar.
24	Environmental Regulators 2015	C.S.E.	New Delhi	02 to 27 Feb. 2015	1.Shri Mahesh Purraya, Chemist, Bhopal. 2.Shri A. Soni, Chemist, Dhar. 3.Shri D. Yadav, Chemist, Guna.



25	Energy Recovery From Municipal Solid Waste: A Potential Method for Waste Diversion from Landfills.	IIT, Mumbai	Mumbai	05 To 06 Feb. 2015	1. Shri V.K. Ahirwar, S.E., Bhopal. 2. Dr. Arti Agrawal, Scientist, Bhopal. 3. Shri A.K. Bisen, E.E., Pithampur, Dhar. 4. Shri H.K. Tiwari, E.E., R.O., Katni. 5. Shri R.R. Bhawanji, Jr. Sci. Guna.
26	Chemical Disaster Management	FICCI	New Delhi	09 to 11 Feb. 2015	Dr. Gunwant Joshi, Chief Chemist, Bhopal.
27	International Conference on Environment.	NGT	New Delhi	14 to 15 March 2015	1. Dr. N.P. Shukla, Chairman. 2. Shri A.A. Mishra, Member Secretary. 3. Shri R.K. Srivastava, S.E. 4. Shri V.K. Ahirwar, S.E. 5. Shri H.S. Malviya, E.E. 6. Shri R.K. Gupta, R.O., Indore. 7. Dr. P.S. Bundela, R.O., Bhopal. 8. Shri Sudhir Srivastava, Asstt. Law Officer, Bhopal.
28	Environmental Legislation Interpretation and Enforcement Training Course.	National Law School Of India University.	Bangalore.	11 to 13 Feb. 2015	1. Shri Hemant Kumar Sharma, S.E.Z., Dhar. 2. Shri Sudhir Srivastava Asstt. Law Officer., Bhopal
29	Workshop on Future of SPCB's.	CSE	New Delhi	09 Feb. 2015	1. Dr. N.P. Shukla, Chairman. 2. Shri A. A. Mishra, Member Secretary. 3. Dr. Abhay Saxena, Chief Chemist, Bhopal.
30	Workshop on Green Infrastructure	S.P.A.	Bhopal	9 to 10 March 2015	1. Shri V.K. Ahirwar, S.E., Bhopal 2. Shri Adesh Srivastava, E.E., Bhopal.
31	Workshop on Green Building	S.P.A.	Bhopal	11 to 12 March 2015	1. Shri Hemant Sharma, S.E.Z., Indore. 2. Shri Kanti Choudhari, E.E., Indore.
32	Workshop on Green Transport	S.P.A.	Bhopal	13 to 14 March 2015	1. Dr. Rajshree Shukla, Scientist, Bhopal 2. Shri H. Thakkar, Scientist, Bhopal. 3. Shri N.P. Tripathi, Agri. Asstt., Bhopal.
33	Approach to remediation of contaminated Sites in India.	V.N.I.T.	Nagpur	16 to 17 Feb. 2015	1. Shri Arvind Keshware, C.C., Nagda. 2. Shri H.S. Malviya, E.E., Bhopal. 3. Shri Pratim Khare, Scientist, Ujjain.



34	Waste Management	IHW M	Bhopal	05 to 19 Jan. 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Shri Ashok Kumar Gupta, Chemist, Bhopal2. Smt. Shweta Sahu, Chemist, Indore.3. Shri Raj Kumar Jain Chemist, Jabalpur.4. Shri Sanjay Mishra, Chemist, Rewa.5. Shri A.K. Tiwari, Chemist, Satna.6. Smt. Sunita Jhore, Chemist, Sagar.7. Ram Das Bagh, Chemist, Ujjain.8. Rajesh Gabhey, Chemist, Nagda.9. Shri Rajaram Bhawar, Jr. Schentist, Guna.10. B.M. Patel, Chemist, Shahdol.11. Ravi Bharti, Chemist, R.O. Bhopal.12. Smt. Avanti Rajoriya, Chemist, Bhopal.13. Smt. Usha Keer, Chemist, Bhopal.14. Smt. Kiran Shakya, Chemist, Bhopal.
35	Chintan Shivir	MoEF	Bhopal	20 to 21 Feb. 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. N.P. Shukla, Chairman.2. A.A. Mishra, Member Secretary.3. Dr. Reeta Kori, C.S.O., Bhopal.4. Shri R.K. Shrivastava, S.E., Bhopal.5. Shri V.K. Ahirwar, S.E., Bhopal.6. Shri M.L. Patel, S.E., Bhopal.7. Dr. Abhay Saxena, C.C., Bhopal.8. Shri Adesh Shrivastava E.E., Bhopal.9. Dr. Reeta Tiwari, C.C., Bhopal.10 Dr. Gunwant Joshi, C.C., Bhopal.11. Shri M.K. Mandrai, E.E., Bhopal12. Mrs. I.S. Khan, A.E., Bhopal.13. Shri Brijesh Sharma, A.E., Bhopal.14. Shri S.N. Tiwari, Sci., Bhopal.15. Dr. Alok Saxena, Sci., Bhopal.16. Dr. A.K. Karera, Sci., Bhopal.17. Dr. Nisha Upadhyay, Sci., Bhopal.



कम्प्यूटर ट्रेनिंग वैसिक एवं डाटा एन्ड्री	प्रशासन अकादमी	भोपाल	29 से 30 सितम्बर, 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री सौरभ तिवारी, निष्ठे.लि. मुख्यालय 2. श्री अनिल पी.जी. निष्ठे.लि. मुख्यालय 3. श्री सुरेश यादव, निष्ठे.लि. मुख्यालय 4. श्री मंगल सिंह पचाया, निष्ठे.लि. मुख्यालय 5. श्री पवन उडके, निष्ठे.लि. मुख्यालय 6. श्री अशोक सक्सेना, निष्ठे.लि. मुख्यालय (दै.वे.भो.) 7. श्री अरविंद पारे, निष्ठे.लि. मुख्यालय (दै.वे.भो.) 8. श्री गोरेन्द्र द्विवेदी, निष्ठे.लि. मुख्यालय (दै.वे.भो.) 9. श्री विनोद वर्मा, निष्ठे.लि. मुख्यालय (दै.वे.भो.) 10. श्रीमती अनिता मंडलोई, निष्ठे.लि. मुख्यालय 11. श्रीमती सुधा रामटेके, निष्ठे.लि. मुख्यालय 12. श्रीमती अंजू करैया, निष्ठे.लि. मुख्यालय 13. श्रीमती शीला कटारे, निष्ठे.लि. मुख्यालय 14. श्रीमती शारदा पाण्डे, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. भोपाल 15. श्री कालीचरण वर्मा, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. भोपाल 16. श्री ओम प्रकाश तिवारी, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. धार 17. श्री मनोज सांडले, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. उज्जैन 18. श्री मदन गोपाल चौधरी, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. उज्जैन 19. श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. सागर 20. श्री श्रद्धेय त्रिपाठी, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. जबलपुर 21. श्री भूपत सिंह, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. सागर 22. श्री अवध नारायण सिंह, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. सिंगराँली 23. श्री रघुनाथ सिंह नामदेव, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. शहडोल 24. श्री सियाचन्द तिवारी, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. सतना 25. श्री के.पी. मिश्रा, निष्ठे.लि. क्षे.कार्या. कटनी
--	-------------------	-------	------------------------------	---



37

टैली ट्रेनिंग

प्रशासन
अकादमी

भोपाल

9-10
अक्टूबर 2014

प्रतिभागी

1. श्रीमती निशा मिश्रा
अनुभाग अधिकारी, (लेखा)
मुख्यालय, भोपाल
2. श्री अनिल शर्मा, अनुभाग
अधिकारी, (आडिट-वरिष्ठ)
मुख्यालय, भोपाल
3. श्री शरद शर्मा, वरिष्ठ
अंकेशक, मुख्यालय, भोपाल
4. श्री के डी. मुक्ता,
लेखापाल, मुख्यालय, भोपाल
5. श्री एल एन. माहोर,
वरिष्ठ लेखापाल, मुख्यालय,
भोपाल
6. श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव,
अधीक्षक, मुख्यालय, भोपाल
7. श्रीमती कल्यना पड़ारे,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
8. श्रीमती राजदुलारी परिता,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
9. श्रीमती मीनल देवस्थली,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
10. श्रीमती नर्मदा बाथम,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
11. श्री प्रदीप रायकवार,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
12. श्रीमती संद्या वारसनिक,
कक्षा अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
13. श्री छोटेलाल शाह, कक्षा
अधीक्षक / लेखापाल,
मुख्यालय, भोपाल
14. श्री राममनोरथ यादव,
लेखापाल, भोपाल
15. श्री डी. के. सकरेना,
लेखापाल, उज्जैन
16. श्री वी. एन. खरे,
लेखापाल, इन्दौर
17. श्रीमती शंकुनलता मौर्य
लेखापाल, धार
18. श्री राजकुमार अहिरवार,
लेखापाल, घासियर
19. श्री र्तेजकरन मानवीय,
लेखापाल, विजयपुर-गुना
20. श्री वी. वी. शर्मा,
लेखापाल, शहडोल
21. श्री गेंदालाल गुप्ता,
लेखापाल, सिंगरीली
22. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा,
उच्च श्रेणी लिपिक
23. श्री सियाघव तिवारी
निश्चेति, सतना
24. श्री आर. पी. लाडिगा,
उच्च श्रेणी, सागर
25. श्री शिवाकांत तिवारी
उच्च श्रेणी, जबलपुर



8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) (ग,ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) (ग,ध) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

विचाराधीन वर्ष में इस दिशा में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रदर्शनियों में सहभाग :

बोर्ड समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है। विभिन्न अवसरों पर नुक़त बोर्ड प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धार्मिक पर्वों के अवसर पर प्रदर्शनीयों आदि लगाई जाती हैं।

20 से 23 फरवरी को बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान में विज्ञान भारती एवं एम.पी. काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित भोपाल विज्ञान मेला 2015 में एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमें विभिन्न मॉडलों, उपकरणों एवं फोटोग्राफ द्वारा बोर्ड की गतिविधियों, प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं किये जा रहे उपायों को प्रदर्शित किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस :

प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण जन-चेतना हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष में 01 जून से ही पर्यावरण जन-जागरूकता सप्ताह का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। भोपाल में 01 जून को टी.टी. नगर स्टेडियम में 'रन-भोपाल: 2014 दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 10 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के लगभग 12 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का फलेग ऑफ माननीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं माननीय मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने किया।



इसके पहले सभी लोगों को पूर्व सांसद श्री कैलाश सारग द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

इसी प्रकार के कार्यक्रम सप्ताह भर समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पूरे प्रदेश में किये गये।

पर्यावरण हितेषी पहल

गणेश उत्सव एवं दुर्गा पूजा उत्सव पर निर्मित प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ-साथ रासायनिक रंगों का उपयोग होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों को मैदानी स्तर पर लागू करने हेतु बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिमाओं के निर्माण व इसके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के प्रति मूर्तिकारों गणेश व दुर्गा उत्सव



समितियों के पदाधिकारियों, स्थानीय संस्थाओं एवं जन-साधारण में जन-जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर कार्यशालाओं एवं जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यशालाओं का आयोजन

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन-जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में विचाराधीन वर्ष में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।



राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश में कार्यरत उद्योग/खदान श्रेणियों के ऐसे उद्योगों को जिसके द्वारा पर्यावरण एवं नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावशील कदम उठाया गया हो को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिये 05 जून, 2014 को निम्नांकित उद्योग/खदानों को इंदौर में पुरस्कृत किया गया।

क्रमांक	उद्योगों के प्रकार एवं नाम	पुरस्कार राशि रु. में
1	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग मेसर्स विक्रम सीमेंट वर्क्स, 2x23 मे.वा., थर्मल पॉवर प्लांट, पो.-खोर, तहसील-जावत, जिला-नीमच	1,50,000/-
2	सामान्य उद्योग मेसर्स सिपला लि., प्लांट नं.-09/10/एस.ई.जेड., फेस-2, फार्मा जोन, सेक्टर 111, पीथमपुर, जिला-धार	1,00,000/-
3	उत्खननरत खदान मेसर्स कुर्जा सीतल धारा, यू.जी. माईन, एस.ई.सी.एल., पो.आ.-बिजुरी, जिला- अनूपपुर	1,00,000/-
4	लघु उद्योग श्रेणी करसोमा बायोके म प्रा.लि. प्लाट नं.- 254, सेक्टर-3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला- धार	1,00,000/-

चयनित उद्योगों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:—

क्र.	उद्योग/ संस्थान का नाम	प्रकरण क्र. / दायर करने का दिनांक एवं क्रमांक	अधिनियम की धारा	दायर करने का कारण
1	मेसर्स टाटा इंटरनेशनल लि.देवास	3440 / 14 19.04.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत्
2	नगर निगम आयुक्त खण्डवा (स्लाटर हाउस)	306 / 2014 23. 04.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1974	(नगरीय ठेस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
3	मेसर्स मोण्डलेज इण्डिया लि. (पूर्वनाम-कैडबरी इण्डिया लि.) औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड	1110 / 14 15.05.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 49	जल अधिनियम की धारा 24व 25/26 के उल्लंघन बाबत्
4	मे. वीनस इंजीनियरिंग प्लाट क. B-एफ, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला-धार	1386 / 14 31.05.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 2 5,44 एवं 47	दूषित जल उपचार संयंत्र की सीपना न करना व निस्त्राव का परिसर से बाहर निस्त्राव करना।
5	मे. त्रिमुला इण्डस्ट्रज लि.मि, ग्राम गोदवाली, तह. देवसर, जिला-सिंगरौली	00 / 14 23.06.2014	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37,38,39 एवं 40	वायु सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण।
6	मे. प्रतिभा सिन्टेक्स प्रा.लि. प्लाट क. 4, इण्डस्ट्रीयल गोथ संटर खेड़ा सेक्टर-3, औद्योगि क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	1960 /2014 14. 07.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,44,एवं 47	दूषित जल उपचार संयंत्र का संचालन ठीक से नहीं होने एवं दूषित जल परिसर से बाहर निस्त्राव करना।
7	नगर पालिक निगम कटनी	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठेस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन बाबत	



8	मे. मेडीलक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि. प्लाट क्र. 99, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला-धार	1756 / 14 14.07.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44	बिना सम्मति प्राप्त किये विस्तारीकरण करना।
9	मे. गुप्ता हास्पीटल प्लाट क्र. 5-7, एम.आय.जी.मांडव रोड, जिला-धार	1755 / 14 15.07.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सहपत्रित धारा 17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किये अस्पताल प्रांतभ करने वालत। पालन न करने के कारण।
10	श्री अरविंदो इंटर्ट्रियूट ऑफ मेडिकल साईंस हॉस्पिटल, इन्डौर	22608 / 14 17.07. 2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
11	नगर निगम आयुक्त, इन्डौर	24.07.14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
12	नगर पालिका परिषद्, मंडीदीप, जिला-रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम धारा-24, 25, 26, 43, 44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित सीबेज का बेतवा नदी मे निस्सारण।
13	मे. पारले एगो इण्डस्ट्री, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 एवं वायु अधिनियम की धारा-21, 37 एवं 39	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।
14	मे. एसएसए इंटरनेशनल, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए	जीरो डिस्चार्ज की सम्मति शर्त का उल्लंघन।
15	मे. एशोसियेट प्लूरीफायर, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21, 37 एवं 39	बिना सम्मति उद्योग का संचालन करना।
16	मे. आर.बी.आर.टेक्नोलॉजी, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए	जीरो डिस्चार्ज की सम्मति शर्त का उल्लंघन।
17	मे. हर्षे इंडिया प्रा.लि. मंडीदीप रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21, 37 एवं	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।



18	मे. मोहनस टेक्यार्ड ग्रा.लि., मंडीदीप रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।
19	मे. सी.जे.जिलेटिन लि. मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए	मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
20	मे. जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि. (यूनिट-1) प्लाट क. 418,419 सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	2082 / 14 11.08.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 "क"के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
21	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. पीथमपुर जिला-धार	2081 / 14 11.08.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 "क"के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
22	होटल जहाज महल प्रा.लि. ग्राम-सागर, माण्डव जिला-धार	2096 / 14 12.08.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,26,44 एवं 47	बिना जल सम्मति प्राप्त किये होटल संचालन करना।
23	मे. जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि. (यूनिट-1) प्लाट क. 418,419 सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	00 / 14 11.08.2014	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 "क" के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
24	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. पीथमपुर जिला-धार	00 / 14 14.08.2014	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 "क" के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
25	मे. खनेजा, पॉपर्टीज प्रा.लि. (कामर्शियल काम्पलेक्स प्रोजेक्ट) झारा प्रोजेक्ट इंजीनियर, ग्राम बैरागढ़ चिचली, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	1747 / 2015 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भवन निर्माण कार्य करना।



26	जे.के. हास्पिटल, कोलार रोड, भोपाल	12609 /14 20.08.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	बिना संचालन सम्मति के हृ.टी.पी./एस.टी.पी. का संचालन करना।
27	रीगल घुरुन (रीगर होम्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट) ग्राम-खजूरीकलां, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12604 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
28	मे. एडवांश मेडिकल साईंस एंड एज्यूकेशनल सोसायटी, ग्राम इनायतपुर, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12600 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
29	मे. अश्वाल बिल्डर्स (सागर लेक व्यू होम्स) ग्राम हताईखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12602 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना
30	मे. राय होम्स यूनिवर्सल प्रा.लि. (राय पिंक सिंटी फेज-2) ग्राम बोरदा, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12607 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
31	ग्वालियर विकास प्राधिकरण (माधव कर्मशयल कॉम्प्लेक्स) ग्वालियर	22.08.14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बगैर निर्माण कार्य किये जाने बाबत।
32	मे. प्रभातम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. (प्रभातम हाइट्स) ग्राम खजूरीकलां, वार्ड बंबर-59, भोपाल	12601 /14 18.09.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना
33	मे. विन विन ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि. एनएच.-12 भिसरोद जिला-भोपाल	12599 /14 18.09.2014	जल अधिनियम की धारा- 25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
34	मे. शिरानी ऑटोमोटिव प्रा.लि. ,(वाक्सवैगन ग्रुप इंडिया प्रा.लि.) 4056-अहमदपुर दरगाह के पास होशंगाबाद रोड, भोपाल	12606 /14 18.09.2014	जल अधिनियम की धारा- 25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
35	शेरानी ऑटोमोबाईल, इन्डौर	31693 /14 28.09.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन



36	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या हेरिटेज), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6454 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 व 40	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
37	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून डिवाइन सिटी), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6486 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
38	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून सिङ्गेचर), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6456 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
39	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या अट्लांटिक), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6480 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
40	मे. सिंग्नेचर बिल्डर (सिङ्गेचर रेसीडेंसी), ग्राम ब्रजारी, कोलार रोड तहसील हुजूर, भोपाल	6482 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
41	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या द्व्यूलिप ग्रीन्स), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6490 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
42	मे. सिंग्नेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर (सिङ्गेचर सिटी), ग्राम बागली एवं बरई, कदारा हिल्स, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	6452 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
43	मं. फारचून बिल्डर्स (मारचून कस्टरी) ग्राम-जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल	6516 / 14 07.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
44	मे. ओरियन्ट पैपर मिल अमलाई जिला शहडोल	2094 / 14 27.10.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन



45	मे. सिंग्नेचार बिल्डर एंड कालोनाइजर (सिंग्नेचर 360) ग्राम बरई, कटारा हिल्स, तहसील दुर्जूर, जिला-भोपाल	7079 / 14 29.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
46	मे. ग्रोसिम इंड.लि. (सेंट्रल फाईबर डिवीजिन) बिरलाग्राम नागदा जि. उज्जैन	31.10.14	जल अधिनियम की धारा 43 व 44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम का उल्लंघन
47	हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (करुणा सागर टॉउनशिप) इन्वैर	36706 / 14 31.10.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
48	मे. ब्लॉक-बी प्रोजेक्ट एन.सी.एल. सिंगरौली	2956 / 14 2957 / 14 01.11.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 तथा वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	सम्मति क्षमता से अधिक उत्पादन करने एवं सम्मति शर्तों का पालन नहीं करने के कारण।
49	नगर पालिका होशंगाबाद	246 / 14 12.11.2014	जल अधिनियम की धारा 24,25,26,43,44,45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित सीधेज का नर्मदा नदी में निस्सारण।
50	कासलीवाल ऑटोमोबाईल, इन्वैर	39247 / 14 13.11.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
51	नेचुरल सीमेंट लि. ग्राम-जेतपुरा, तह. मनावर जिला-धार	1114 / 14 20.11.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44,47 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 “क” तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 “क” के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन। (बोर्ड की बिना जल एवं वायु सम्मति के उद्घोग की उत्पादन क्षमता विस्तार)
52	नगर परिषद्, मण्डलेश्वर	01.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
53	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, महेश्वर	01.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	जल अधिनियम का उल्लंघन



54	नगरपालिक निगम देवास	5670 / 14 01.12.2014	जल अधिनियम की धारा 43 व 44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम का उल्लंघन
55	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, औंकारेश्वर	02.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,26,33,44,48	जल अधिनियम का उल्लंघन
56	नगर पालिका परिषद्, अमरकण्ठक	04.12.14	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 47	जल अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त न करने वाले
57	मे. एस.एन.एस. भिनरल्स लि. लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन ग्राम जमुवानीकल्स कट्टनी	6142 /2014 19. 12.2014	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37,39 एवं जल अधिनियम 1974 की धारा 25,42,44 एवं 45 ए	जल/वायु अधिनियम का उल्लंघन
58	अमरकण्ठक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई	30.12.14	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
59	नगर पालिका, डिंडोरी	136 / 15 24.12.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 47	जल अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त न करने वाले
60	मेसर्स कृपा वेस्ट, श्री दीपक जैसवाल, सिवनी	3780/2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15, 16 एवं 19	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम का पालन न करने के कारण।
61	हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (न्यूयॉर्क सिटी निहालपुरमुंडी) इन्डौर	405 / 15 08.01.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
62	नगर परिषद् भेड़ाधाट जिला जबलपुर	12.01.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25,43,44 एवं 48 के अन्तर्गत	बिना सम्मति प्राप्त किये बगैर नगरीय बिकाय से उत्पन्न जल मल को बगैर उपचार के नर्मदा नदी में निस्सारित करने के कारण।



63	नगर परिषद् गोविंदगढ़, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
64	नगर परिषद् गुढ़, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
65	नगर परिषद् मनगवौ, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
66	मे. दुधीबुआ प्रोजेक्ट, एन.सी.एल. सिंगरौली	3396 / 15 29.01.2015	जल अधिनियम 1974 की धारा 42 (2) एवं 44	जल सम्मति शर्तों के अनुसार उपचार व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण।
67	नगर निगम आयुक्त, खण्डवा	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
68	नगर निगम आयुक्त, बुरहानपुर	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
69	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद्, नेपानगर	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
70	नगर पालिका, शहडोल	29.01.15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हायालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
71	मे. सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	287 / 15 30.01.2015	जल अधिनियम की धारा-24,25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
72	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद्, बझवाह	30.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन



73	नगर पालिका परिषद्, सीधी	31.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालब) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
74	नगर परिषद् चुरहट, जिला-सीधी	31.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालब) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
75	नगर परिषद बरही कट्टी	372 /2015 03.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालब) नियम 2000में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन बावत
76	नगर परिषद कैमोर कट्टी	373 /2015 03.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालब) नियम 2000में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन बावत
77	श्री आधार सिंह (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) नगर पालिका परिषद्, धार	176 / 15 03.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सहपात्रि धारा 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तब) नियम 2000 के नियम-4 के प्रावधानों का उल्लंघन करना।
78	डॉ मधु सक्सेना (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) नगर पालिका परिषद्, पीयमपुर	00 / 15 03.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सहपात्रि धारा 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तब) नियम 2000 के नियम-4 के प्रावधानों का उल्लंघन करना।
79	नगर परिषद् रामपुर नैकिन, जिला-सीधी	04.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालब) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
80	मे. भोजपाल बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्रा.लि. (श्री कृष्णा हाइट्स रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट) ग्राम बरई, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	1745 / 15 05.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा-15 एवं 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना।



81	मे. भोजपाल बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्रा.लि. (श्री कृष्णा हाइट्स रेसीडेंसियल प्रोजेक्ट) ग्राम बरई, तहसील दुजूर, जिला भोपाल	1745 / 15 05.02.2015	जल अधिनियम की धारा- 25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37, 40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
82	मे. सार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी (पिसेफिक बिजनेस सेंटर), काम बावड़ियाकलां, भोपाल	1749 / 15 05.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 एवं 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
83	मे. सार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी (पिसेफिक बिजनेस सेंटर), काम बावड़ियाकलां, भोपाल	1753 / 15 05.02.2015	जल अधिनियम की धारा- 25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37, 40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
84	जबता डेयरी सालीवाडा,जबलपुर	07.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
85	नगर परिषद् बैकून्हपुर, जिला-सीधी	06.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठेस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
86	नगर परिषद् सिरमौर, जिला-रीवा	06.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठेस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
87	नगर परिषद् त्योथर, जिला-रीवा	10.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठेस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
88	नगर परिषद् चाकधाट, जिला-रीवा	10.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठेस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
89	नगर पालिका होशंगाबाद	187 / 15 13.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमाईसडब्ल्यू रल्स के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण।



90	नगरपालिका परिषद्, नागदा, जिला उज्जैन	16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
91	नगरपालिका परिषद्, खाचरोद, जिला उज्जैन	16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
92	नगरपालिका परिषद्, बड़नगर जिला उज्जैन	16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
93	नगरपालिका परिषद् महिदपुर, जिला उज्जैन	16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
94	नगर परिषद् उन्हेल, जिला उज्जैन	अप्राप्त 16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
95	नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन	अप्राप्त 16.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
96	नगर परिषद् भौंरासा जिला देवास	अप्राप्त 18.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
97	नगर परिषद् हाटपिपल्या जिला-देवास	अप्राप्त 18.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
98	नगर परिषद् धिपलरंगा जिला-देवास	अप्राप्त 18.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय थोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।



99	नगर परिषद् सोनकच्छ जिला-देवास	अप्राप्त 18.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
100	नगर परिषद् टोकखुर्द जिला-देवास	अप्राप्त 18.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
101	नगरपालिका परिषद् शाजापुर, जिला-शाजापुर	अप्राप्त 20.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
102	नगरपालिका परिषद् शुजालपुर, जिला-शाजापुर	अप्राप्त 20.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
103	नगर परिषद् पोलायकंला, जिला-शाजापुर	अप्राप्त 20.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
104	नगर परिषद् अकोदिया जिला-शाजापुर	अप्राप्त 20.02.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
105	नगरपालिका बैतूल	488 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
106	नगर परिषद् आठबोरे, जिला-बैतूल	490 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
107	नगरपालिका, आमला, जिला बैतूल	489 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
108	नगरपालिका, सारनी, जिला बैतूल	487 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।



109	बगर परिषद, विचौली, जिला बैतूल	485 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
110	नगर परिषद, भेंसदेही, जिला बैतूल	484 /15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
111	नगर परिषद, मुलताई, जिला बैतूल	491 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
112	नगर परिषद, बैतूल बाजार, जिला बैतूल	486 / 15 20.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
113	बगर परिषद हनुमना, जिला-रीवा	21.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
114	बगर परिषद नईगढ़ी, जिला-रीवा	21.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
115	बगर परिषद मउगंज, जिला-रीवा	21.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
116	बगरपालिका, रायसेन	23.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
117	बगरपालिका, मंडीदीप जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
118	बगरपालिका बेगमगंज, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
119	बगर परिषद् बरेली, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।



120	नगर परिषद् बाड़ी, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
121	नगरपालिका परिषद् गैरतगंज, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
122	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
123	नगर पालिका परिषद्, उदयपुरा, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
124	नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
125	नगरपालिका परिषद् सांची, जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
126	नगर परिषद् सिलवानी जिला-रायसेन	23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
127	नगर पालिका हरदा	अंडर रजिस्ट्रेशन 23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
128	नगर परिषद् ठिमरनी, जिला हरदा	अंडर रजिस्ट्रेशन 23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
129	नगर परिषद् खिरकिया जिला हरदा	अंडर रजिस्ट्रेशन 23.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
130	मे. सिघनेचर बिल्डर एंड कालोनाइजर (सिघनेचर 360), ग्राम बरई कटारा हिल्स, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
131	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या हेरिटेज), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर,	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना



132	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून डिवाइन सिटी), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
133	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून सिङ्गेचर), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
134	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या अटलांटिक), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
135	मे. सिङ्गेचर बिल्डर (सिङ्गेचर रेसीडेंसी), ग्राम ब्रजारी, कोलार रोड तहसील दुजूर, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
136	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या ट्रूलिप ग्रीन्स), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
137	मे. सिङ्गेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर (सिङ्गेचर सिटी), ग्राम बागली एवं बरई, कटारा हिल्स, तहसील दुजूर, जिला-भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
138	मे. फारचून बिल्डर (मारचून कस्तूरी) ग्राम-जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करना
139	नगर पालिका बावई जिला होशंगाबाद	अंडर रजिस्ट्रेशन 24.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
140	नगर पालिका परिषद् डबरा जिला ग्वालियर	25.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत।



141	नगर पालिका परिषद् दतिया जिला-दतिया	25.02.15 अंडर रजिस्ट्रेशन	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत। एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
142	नगर पालिका, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद	25.02.2015 अंडर रजिस्ट्रेशन	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
143	नगर पालिका पिपरिया, जिला होशंगाबाद	25.02.2015 अंडर रजिस्ट्रेशन	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
144	मैं एडवांश मेडिकल साईंस एंड एज्यूकेशन सोसाइटी, शाम-इनायरतपुर तह. हुजूर, जिला भोपाल	1751 / 15 26.02.2015	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37,40	बिना सम्मति निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा।
145	नगर पालिका परिषद् , गुना	26.02.15	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत
146	नगर परिषद् मझौली, जिला-सीधी	26.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
147	मे. आर. के. डी. एफ. एज्यूकेशन सोसायटी भोपाल	1750 / 15 26.02.2015	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37,40	बिना सम्मति निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा।
148	नगर पालिका निगम, जबलपुर	27/02/2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15, 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
149	मे. हर्षे इंडिया प्रा.लि. प्लाट नं. -05, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया-1, मंडीदीप जिला-रायसेन	27.02.2015	वायु अधिनियम की धारा- 21,37,39 एवं 40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन
150	मे. एस.एम.ली ब्रेवरीज, प्लाट नं. -28, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप जिला-रायसेन	27.02.2015	वायु अधिनियम की धारा- 21,37,39 एवं 40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन



151	मे. इन्सुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, १-८, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप जिला-रायसेन	27.02.2015	वायु अधिनियम की धारा- 21,37,39 एवं 40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन
152	मे. सी.जे.जिलेटिन प्रोडक्ट्स लि., २१, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप जिला-रायसेन मंडीदीप, रायसेन	27.02.2015	वायु अधिनियम की धारा- 21,37,39 एवं 40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन
153	मे. लाईफ स्पॉन बायोटेक प्रा.लि., प्लाट नंबर ३६,न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप जिला-रायसेन	27.02.2015	जल अधिनियम की धारा- 24,25,44,45 एवं 47	सम्मति शर्तों का उल्लंघन
154	नगर पालिका परिषद् गोहद, जिला-भिण्ड	81 / 2015 27.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ धारा अन्तर्गत १५,१७	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ का उल्लंघन
155	नगर पालिका, इटारसी जिला होशंगाबाद	146 / 15 27.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा- १५ व १६	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
156	नगर पालिका निगम, जबलपुर	27.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ की धारा-१५ एवं १७ के अन्तर्गत।	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम ४ एवं ७ का पालन न करने के कारण।
157	नगर पालिका परिषद् सिहोरा जिला जबलपुर	27.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ की धारा-१५ एवं १७ के अन्तर्गत।	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम ४ एवं ७ का पालन न करने के कारण।
158	नगर पालिका परिषद् पनागर जिला जबलपुर	27.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ की धारा-१५ एवं १७ के अन्तर्गत।	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम ४ एवं ७ का पालन न करने के कारण।
159	नगर पालिका सोहागपुर, जिला होशंगाबाद	अंडर रजिस्ट्रेशन 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा- १५ व १६	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
160	नगर पालिका, गंजवासौदा, जिला विदिशा	354 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा- १५ व १६	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
161	नगर पालिका, सिरोज, जिला विदिशा	357/ 2015 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा- १५ व १६	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।



162	बगर पालिका, लट्टेरी, जिला विदिशा	353 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
163	बगर परिषद् शमसाबाद जिला विदिशा	355 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
164	बगर पालिका, कुखार्वा, जिला विदिशा	352 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
165	बगर पालिका, विदिशा	356 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
166	में. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंपनी लि. (ईपीसीएल) सीहोर	141 / 15 28.02.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
167	बगर पालिका परिषद् मुरैना जिला-मुरैना	28.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
168	गुलशन डेयरी कटियाधाट जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
169	पाण्डेय डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
170	जवाहर अहिंसार डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
171	ौकी डेयरी करौदांनाला जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
172	प्रकाशपाल डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2)	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।



173	पंकज डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
174	भुज्जन डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
175	ललू डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
176	बडगैया डेयरी इमलिया जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
177	जनकराज खत्री डेयरी सालीवाडा जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
178	वाहिद डेयरी गौरेयाधाट जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
179	श्रीपाल डेयरी सालीवाडा,गौर जबलपुर	28.02.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41(2) के अन्तर्गत	इकाई को जारी 33 के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
180	नगर पालिका परिषद, गोहद जिला भिण्ड	28.02.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत।	नगरीय थोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



181	नगर पालिका परिषद, मंडला	02.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत।	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
182	नगर पालिका परिषद, मंडला	12.01.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25,43,44 एवं 48 के अन्तर्गत	बिना सम्मति प्राप्त किये बगैर नगरीय निकाय से उत्पन्न जल मल को बगैर उपचार के बर्मदा नदी में निस्सारित करने के कारण।
183	नगर पालिका परिषद् नैनपुर	02.03. 2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
184	नगर परिषद् निवास	02.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
185	नगर परिषद् बिछिया	02.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,5	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
186	नगर परिषद् बम्हनी बंजर	02.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,6	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
187	नगर पालिका परिषद, बरसिंहपुर	02.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,7	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



188	नगर पालिका परिषद, करेली	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,8	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
189	नगर परिषद, बालाघाट	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,9	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
190	नगर पालिका परिषद, वारासिवनी	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,10	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
191	नगर पालिका परिषद, सिवनी	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,11	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
192	नगर पालिका परिषद, लखनादौब	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,12	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
193	नगर पालिका निगम, छिंदवाड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,13	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



194	नगर पालिका परिषद, पवधुरन	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,14	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
195	नगर पालिका परिषद, सौसर	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,15	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
196	नगर पालिका परिषद, हरई	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,16	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
197	नगर पालिका परिषद, अमरवाड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
198	नगर पालिका परिषद, मोहगांव	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,18	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
199	नगर पालिका परिषद, लोधीखेड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,19	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



200	नगर पालिका परिषद, पिपलानारायणवार	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,20	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
201	नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,21	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
202	नगर पालिका परिषद करेली	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,22	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
203	नगर पालिका परिषद बालाघाट	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,23	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
204	नगर पालिका परिषद वायासिवनी	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,24	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
205	नगर पालिका परिषद सिवनी	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलब) नियम 4,25	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



206	नगर परिषद लखनादौन	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,26	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
207	नगर पालिक निम छिंदवाड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,27	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
208	नगर पालिका परिषद पांडुनी	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,28	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
209	नगर पालिका परिषद सौंसर	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,29	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
210	नगर परिषद हरई	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,30	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
211	नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,31	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



212	नगर परिषद पिपला नारायणवार	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,32	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
213	नगर परिषद लोधीखेड़ा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,33	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
214	नगर परिषद मोहगांव	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,34	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
215	नगर पालिका परिषद चौरई	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,35	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
216	नगर परिषद चिखली न्यूटन	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,36	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
217	नगर परिषद बड़कुई	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,37	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।



218	नगर परिषद चांदमेंदा	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,38	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
219	नगर पालिका परिषद् दमुआ	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,39	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
220	नगर पालिका परिषद् जामई	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,40	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
221	नगर पालिका परिषद् परसिया	03.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 4,41	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 की धारा 4 एवं 7 का पालन न करने के कारण।
222	नगर परिषद्, रेहटी, जिला सीहोर	312 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
223	नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर	309 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
224	नगर परिषद्, शाहगंज, जिला सीहोर	305 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
225	नगर परिषद्, कोटरी, जिला सीहोर	306 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।



226	नगर परिषद्, जावर, जिला सीहोर	311 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
227	नगर पालिका, आष्टा, जिला सीहोर	313 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
228	नगर पालिका, सीहोर जिला सीहोर	308 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
229	नगर परिषद् बुधनी, जिला सीहोर	307 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
230	नगर परिषद् नसरललागंज, जिला सीहोर	310 / 15 03.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	एमएसडब्ल्यू रूल्स के प्रावधानों का उल्लंघन।
231	नगरपालिक निगम, रत्लाम	625 / 15 09.03.2015	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व 17	नगरीय दोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत।
232	नगर परिषद् सेमरिया, जिला-रीवा	10.03.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय दोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत।
233	मै. पारस हाउसिंग (इंडिया) प्रा.लि. परियोजना का नाम पारस अर्बन पार्क ग्राम बावड़िया कलां, ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 11.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16 जल अधिनियम की धारा- 25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37,40	बिना पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति के निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
234	मै. सिंग्नेचर डेवलपर्स परियोजना का नाम सिंग्नेचर 99, चूना भट्टी चौराहा, कोलार रोड, भोपाल	अंडर रजिस्ट्रेशन 11.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16 जल अधिनियम की धारा- 25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा- 21,37,40	बिना पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति के निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।



244	इन्डौर ट्रेजर टॉउन प्रा.लि. बिजलपुर, इन्डौर	7625 / 15 26.03.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
245	मूसर्स बी.पी. फूड प्रोडक्ट प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र बामौर जिला-मुरैना	27.03.15	जल अधिनियम 1974 की धारा 44,47,49	जल अधिनियम की धारा 24,25/26 के उल्लंघन बाबत्
246	नगर पालिक परिषद, मण्डला	340 / 15 30.03.2015	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्राव धारों का उल्लंघन करने के कारण	जल अधिनियम का उल्लंघन
247	मेसर्स होटल शांति पैलेस बानाखेडा,उज्जैन	-	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत्
248	मेसर्स गेसिम इंड लि.(सोवल फाईबर डिवीजन) बिरलाघाम नागदा जिला उज्जैन	-	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत्
249	मेसर्स कृति न्यूट्रिएट देवास	167/2015	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत्
250	मेसर्स पेंटाग्न लेब देवास	167/2015	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत्



उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर प्रकरणों में दोषी उद्योगों को दिया गया दण्डः—

(1) **इन्द्रप्रस्थ गार्डन इन्डौर** :— उक्त उद्योग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की 41 व 47 के अन्तर्गत वर्ष 2010 में परिसर के बाहर दूषित जल निस्तारित करने संबंधी कृत्य के लिये उद्योग के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 23147 / 2010 दायर किया गया ।

प्रकरण में दिनांक 13 / 12 / 14 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोष सिद्ध पाये जाने के कारण आरोपी श्री सुनील शर्मा को अधिनियम 1974 की 41 में दोषी पाते हुये रूपये 5.000/- के अर्थदण्ड से तथा अधिनियम की धारा 47 में दोषी पाते हुये मेसर्स इन्द्रप्रस्थ गार्डन को अधिनियम 1974 की 47 के अन्तर्गत रूपये 1.000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम दशा में 15—15 दिवस के साधारण कारावास भुगताये जाने संबंधी भी आदेश है ।

(2) **मेसर्स नीलकमल इण्डरस्ट्रीज बुरहानपुर** :— उक्त उद्योग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक नियंत्रित नहीं करने एवं बिना बोर्ड की सम्मति के उद्योग संचालित करने संबंधी कृत्य के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 982 / 08 दायर किया गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किये जाने के कारण प्रत्येक धारा में प्रत्येक आरोपी को रूपये 8.000—8.000 कुल रूपये 16.000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड भुगताना न होने की दशा में एक माह के साधारण कारावास की सजा दी गई । निर्णय अनुसार उक्त राशि में से रूपये 25000/- की राशि प्रतिकर स्वरूप प्रतिवादी को दी जानी है ।

(3) **मेसर्स भण्डारी प्रोसेस बुरहानपुर** :— उक्त उद्योग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जल एवं वायु प्रदूषकों का उत्पादन कार्य के दौरान पर्यावरण में उत्सर्जन करने तथा बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित रहने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में दिनांक 9 / 5 / 08 को प्रकरण क्रमांक 1133 / 2008 दायर किया गया था ।

प्रकरण में दिनांक 23 / 2 / 15 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोष सिद्ध पाये जाने के कारण आरोपीगण में से प्रत्येक को प्रथक—पृथक जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत 4000—4000/- चार—चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । व्यतिक्रम की अवस्था में व्यतिक्रम करने वाले आरोपी को तीस दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि में से रूपये 6.000/- रु. छैः हजार परिवादी को दिये जाने संबंधी भी आदेश है ।

(4) **मेसर्स नवभारत पॉवरलूम को—आप.सोसायटी बुरहानपुर** :— उक्त उद्योग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में वायु प्रदूषकों को नियंत्रित न कर वातावरण में छोड़ने तथा बोर्ड की सम्मति के बिना संचालित रहने के कारण 9 / 5 / 2008 को जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 1136 / 2008 दायर किया गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28 / 1 / 2015 को सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोष सिद्ध पाये जाने के कारण प्रत्येक आरोपी को अपरोक्त अधिनियमों के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुये जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत 4000—4000/- रु. चार—चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से



दण्डित किया व्यतिक्रम करने करने वाले आरोपी को तीस दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि में से रु. 6000/- छैः हजार रूपये परिवादी को अदा निर्णयानुसार किये जाने हैं ।

(5) **मेसर्स अजतां प्रोसेस खण्डवा रोड बुरहानपुर:-** उक्त उद्योग के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में जल एवं वायु प्रदूषकों का उत्पादन कार्य के दौरान पर्यावरण में उत्सर्जन करने तथा बोर्ड की बिना अनुमति के फैक्ट्री संचालित रहने के कारण 28/3/2008 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 728/2008 दायर किया गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10/3/2015 को सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोषसिद्ध पाये जाने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 39 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत प्रत्येक आरोपी को दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक धारा में 8000–8000/- आठ–आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड, इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को 16,000/- सोलह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी क्रमांक–2 एवं 3 को एक माह साधारण कारावास भुगताया जावें । अर्थदण्ड राशि अदा होने पर अपील अवधि पश्चात निर्णय अनुसार उक्त राशि में से रूपये 30,000/- प्रतिकर स्वरूप परिवादी को दिये जाने संबंधी आदेश है ।

(6) **मेसर्स अजन्ता प्रोसेस 02 खंडवा रोड बुरहानपुर:-** उद्योग के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में वायु प्रदूषक तत्वों का उत्पादन कार्य के दौरान पर्यावरण में उत्सर्जन करने तथा बिना अनुमति के फैक्ट्री संचालन करने के कारण 09/5/2008 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत 1134/2008 दायर किया गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10/3/2015 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोषसिद्ध पाये जाने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत आरोपीगण में से प्रत्येक को 8000–8000/- आठ–आठ हजार रूपये इस प्रकरण कुल सोलह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी क्रमांक–2 को एक माह साधारण कारावास भुगताया जावें । अर्थदण्ड राशि अदा होने पर अपील अवधि पश्चात उक्त राशि में से रूपये 10,000/- प्रतिकर स्वरूप परिवादी को दी जानी है ।

(7) **मेसर्स नवभारत पावरलूम कॉर्पोरेटीव सोसायटी द्वनदभारत साईजिंग मीलक्र बुरहानपुर :-** उद्योग के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में जल एवं वायु प्रदूषकों का उत्पादन कार्य के दौरान पर्यावरण में उत्सर्जन करने तथा बोर्ड की बिना अनुमति के फैक्ट्री संचालित रहने के कारण 01/3/2008 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 489/2008 दायर किया गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/2/2015 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोषसिद्ध पाये जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत आरोपीगण में से प्रत्येक को प्रथक–पृथक के अन्तर्गत 4000–4000/- चार–चार हजार रूपये तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत



4000—4000/- चार—चार हजार रुपये इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को प्रथक—प्रथक 8,000/- आठ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम की अवस्था में व्यतिक्रम करने वाले आरोपी को तीस दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। निर्णयानुसार अर्थदण्ड की राशि में से रुपये 12,000/- रु. बारह हजार परिवादी को अदा किये जाने संबंधी भी आदेश हैं।

(8) **मेसर्स नवनीत गार्डन इन्डौर:**— उद्योग के विरुद्ध बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने, पर्यावरण में प्रदूषक तत्वों एवं गैसों का बिना उपचार के उत्सर्जन करने के कारण दिनांक 8/10/10 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के तहत प्रकरण क्रमांक 23224/10 दायर किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5/3/15 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोषसिद्ध पाये जाने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी क्रमांक 2 ममता गोयल को तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक के कारावास तथा आरोपी क्रमांक 3 महेश गोयल को तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम होने की दशा में 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने संबंधी भी आदेश है।

(9) **मेसर्स नवनीत गार्डन इन्डौर:**— उद्योग के विरुद्ध बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने, दूषित जल बिना उपचार के परिसर के बाहर निस्सारित करने के कारण दिनांक 6/10/10 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 व 47 के तहत प्रकरण क्रमांक 23146/10 दायर किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4/2/15 को माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के कारण दोषसिद्ध पाये जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा, आरोपी ममता गोयल को पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा नवनीत गार्डन को धारा 47 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम होने की दशा में 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने संबंधी भी आदेश है।



10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

इस अध्याय में वर्ष 2014–2015 के आंकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। जल एवं वायु अधिनियमों की संबंधित धाराओं की अपेक्षा अनुसार बोर्ड के परीक्षित लेखे शासन को पृथक से प्रस्तुत किये जावेंगे।

अनुदान एवं आय :

वर्ष 2014–2015 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्त आय राशि रूपये 4783.33 लाख जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि रु. 1225.332 लाख है। केन्द्र शासन से जल उपकर अंशदान प्राप्त राशि निरंक है। सम्मति शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क, प्राधिकार शुल्क, मॉनिटरिंग चार्जेस एवं अन्य शुल्कों से रु. 3070.00 लाख जिसमें सम्मति शुल्क रु. 836.92 लाख, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रु. 1634.07 लाख सम्मिलित है। अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त राशि रु. 487.99 लाख जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं के परिचालन हेतु प्राप्त राशि निरंक, बैंक जमा पर व्याज रु. 238.60 लाख एवं कर्मचारियों से अग्रिम वसूली के रूप में रु. 22.64 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

आधिकाय एवं राजस्व व्यय :

विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की प्राप्त आय के विरुद्ध कुल व्यय रूपये 4740.44 लाख हुआ है। वर्ष में कुल व्यय राशि 4740.44 लाख का 80.75 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय, 07.70 प्रतिशत पूंजीगत व्यय एवं 11.55 प्रतिशत अन्य आवर्ति व्यय है।



11. वार्षिक योजना 2015–2016

वर्ष 2014–2015 में राज्य शासन के बजट में रूपये 1798.02 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य शासन से रु. 1225.332 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित योजनाओं के लिये रु. 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :—

क्र.	योजना का नाम	राशि (लाख रु. में)	राशि रु. (लाख में)
1.	अनुसंधान एवं विकास 1.1 सर्वे एवं मॉनिटरिंग 1.2 ई. वेस्ट इन्वेन्टराईजेशन 1.3 अनुसंधान विकास केन्द्र	275.00 3.00 135.00	413.00
2.	संगठन का सुदृढ़ीकरण		666.00
3.	राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरुषकार		13.00
4.	कार्यशाला, प्रशिक्षण, जन-जागरूकता एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान		50.00
5.	आई.टी. / ई-गवर्नेंस		100.00
6.	पॉलिसी रिफार्म इंटरप्राइस रिसॉस प्लानिंग –विजन 2018 6.1 ऑन लाईन एम्बीएट एयर मॉनिटरिंग सिस्टमों की स्थापना — 175.00 6.2 बोर्ड का ढॉचागत सुदृढ़ीकरण — 83.00		258.00
कुल योग			1500.00



12. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी: यिकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को जन मानस तक पहुँचाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत कारगर साबित हुआ है। वेब साईट का अपडेशन, संधारण एवं संचालन विशेष सॉटवेयर के माध्यम से बोर्ड की आई.टी. शाखा द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया। वेब साईट के संचालन एवं अपडेशन से आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से जानकारियों सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ वेब साईट पर देना प्रारंभ किया गया। बोर्ड की वेब साईट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सर्वर पर वर्तमान में www.mppcb.nic.in पर कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्यों में पारदर्शित लाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। सर्वप्रथम वर्ष 2008 में वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में तकनीकी प्रस्तुतीकरण सर्वत्र वर्ष 2008 में वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्त्रेक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरुवार का दिन सुनिश्चित कर प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तकनीकी प्रस्तुतीकरण के मॉडल को देश में ख्याति एवं मान्यता प्राप्त हुई है एवं केन्द्रीय शासन द्वारा इसे पूरे देश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लागू करने की अनुशंसा की है। उद्योगों से आये प्रतिनिधि तकनीकी प्रस्तुतीकरण माईक्रोसॉफ्ट पॉवर पार्सन्ट पर बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उद्योग प्रतिनिधि सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रतिनिधि सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी के आंकड़ों/फोटोग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करता है। तकनीकी प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष/निर्णय को उसी दिवस को बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो के वेब साईट पर ओपन एक्सेस होता है। उद्योग उक्त विवरण को पढ़कर तदानुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है।

बोर्ड की वेब साईट पर वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार संबंध जानकारी प्रदर्शित करना प्रारंभ किया गया। इससे पत्र जारी होने के उपरान्त उद्योग स्वयं इंटरनेट के माध्यम से सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार की स्थिति ज्ञात कर पाता है।

इसी परिपेक्ष्य में पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाये गए एवं बोर्ड की वेब साईट पर जारी होने वाले सम्मति/सम्मति नवीनीकरण पत्रों के स्केन प्रति को दिया जाने लगा है। इससे उद्योग सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की प्रति वेब साईट से सीधे डाउनलोड कर सकता है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र गॉदीनगर के सहयोग से एक्स. जी.एन. सॉटवेयर संचालित है। इस सॉटवेयर में कुल 16 मॉडल्यूस् सम्मिलित है, जिसमें वर्तमान में 06 मॉडल्यूस् के अन्तर्गत तकनीकी शाखा, मॉनीटरिंग शाखा, जीव चिकित्सा अपशिष्ट शाखा तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन शाखा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है। सॉटवेयर के डाटाबेस में लगभग 17000 उद्योगों के आंकड़े शामिल हैं। सॉटवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

जल उपकर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से केन्द्र शासन ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया है, इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं पर उनके द्वारा उपयोग किये गये जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाता है। जल उपकर अधिनियम 1977 एवं संशोधित अधिनियम 2003 अनुसूची-2 में अंकित दरों के आधार पर जल उपकर वसूला जाता है।



गई राशि उनसे प्राप्त राशि केन्द्र शासन

वर्ष 2014–15 में उद्योगों / स्थानीय संस्थाओं पर निर्धारित की गई राशि उनसे प्राप्त राशि का विवरण तालिका में प्रस्तुत है :-
को भेजी गई राशि तथा केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का विवरण तालिका में प्रस्तुत है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1	निर्धारित उपकर की राशि	1068.82
2	वसूल की गई राशि	651.25
3	केन्द्र सरकार को हस्तांतरित राशि	651.25
4	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	निरंक
5	उपकर में छूट की राशि	निरंक

आपात अनुकिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं संबंधित परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य ऐजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है। केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल काइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंसियल टॉकिस्क केमिकल से सतत सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय-अर्ध शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। इस केन्द्र का कार्य सीमा प्रदेश स्तर तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्रदेशों को भी आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में 348 उद्योग इस केन्द्र के सदस्य हैं।

विचाराधीन वर्ष में आऊट-रीच प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जन-जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। यह कार्यक्रम भोपाल एवं औद्योगिक क्षेत्र विन्ध्य नगर, कैमोर (कट्टनी) पीथमपुर, सिंगरौली, छतरपुर तथा अमलाई, शहडोल आदि स्थानों पर आयोजित किये गये। कार्यक्रमों में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि जिला-प्रशासन के अधिकारीगण, नगर निगम, नगरपालिका, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में देश के विख्यात विशेषज्ञों के विशिष्ट व्याख्यानों के अतिरिक्त काल्पनिक दुर्घटनाओं की परिस्थितियों पर आधारित मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अल्कलरी मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा संपूर्ण भारत में प्रारम्भ की गई "क्लोरिन आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र" के बहुउपयोगी सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि क्लोरीन आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का गठन क्लोरीन के परिवहन तथा उपभोक्ता द्वारा स्वतः से स्थानों पर इसके उपयोग में क्लोरीन के रिसाव से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति पर शीघ्रता से निपटने के लिये टोल फ़ी नम्बर 1800-11-1735 पर सूचना देने पर निकटतम क्लोर-क्षार इकाई के नियंत्रण कक्ष के स्टाप द्वारा रथल पहुँच सेवा दी जाती है। जिससे कि शीघ्रता से घटना पर काबू पाया जा सके।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य इकाई, नई दिल्ली द्वारा कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री आदि उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली गैसों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। इस प्रकरण में ई.आर.सी. द्वारा मुख्य भूमिका निभाते हुए उक्त विषय में तकनीकी राय दी गई। जिसके आधार पर भारत शासन के बन एवं पर्यावरण मन्त्रालय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये। ई.आर.सी. द्वारा प्रस्तुत तकनीकी टीप के आधार पर मध्यप्रदेश शासन ने उक्त उल्लेखित उद्योगों के साइटिंग एवं गैसों के उपयोग के संबंध में निर्देशों को राजपत्र में प्रकाशित किया।

ई.आर.सी. द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय निगरानी केन्द्र की स्थापना का पूर्ण कार्य देखा जा रहा है। केन्द्र के द्वारा प्रदेश के उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण कारकों का सतत तौर पर रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जावेगी। जिससे प्रदेश के पर्यावरण के स्तर में और सुधार संभव हो सकेगा।

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची
राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा गठित संचालक मण्डल


क्र.	नाम एवं पदनाम	पद
1	डॉ. एन. पी. शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें भोपाल	सदस्य
5	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल	सदस्य
6	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
7	श्रीमति कृष्णा गौर, महापौर नगरपालिक निगम, भोपाल	सदस्य
8	श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम, जबलपुर	सदस्य
9	श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन	सदस्य
10	डॉ. अनिल तिवारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौथर, जिला—रीवा	सदस्य
11	श्रीमति अर्चना गुड्डू सिंह, अध्यक्ष नगर पालिक परिषद, छतरपुर	सदस्य
12	श्री हरभजन शिवहरे, ई-8/21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
13	श्री अभय दारे (बी.ई.सिविल) 45, द्वारिका विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर	सदस्य
14	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला—विदिशा	सदस्य
15	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य
16	प्रबंध संचालक, म.प. लघु उद्योग निगम, भोपाल	सदस्य
17	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची
राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा गठित संचालक मण्डल

क्र.	नाम एवं पदनाम	पद
1	डॉ.एन.पी. शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें भोपाल	सदस्य
5	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल	सदस्य
6	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
7	श्रीमति कृष्ण गौर, महापौर नगरपालिक निगम, भोपाल	सदस्य
8	श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम, जबलपुर	सदस्य
9	श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन	सदस्य
10	डॉ. अनिल तिवारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौंथर, जिला—रीवा	सदस्य
11	श्रीमति अर्चना गुड्ह सिंह, अध्यक्ष नगर पालिक परिषद, छतरपुर	सदस्य
12	श्री हरभजन शिवहरे, ई-8/21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
13	श्री अभय दारे (वी.ई.सिविल) 45, द्वारिका विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर	सदस्य
14	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला—विदिशा	सदस्य
15	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य
16	प्रबंध संचालक, म.प. लघु उद्योग निगम, भोपाल	सदस्य
17	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव



बोर्ड की संरचना



वर्ष 2014-15 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1.	मेसर्स जी.डी.पी. एंग्रो इण्ड., बरुआ, ग्वालियर
2.	मेसर्स ग्रेनटेक फूड्स इंडिया प्रा.लिमि., मालनपुर, भिण्ड
3.	मेसर्स विकम आर्य फूड्स प्रोडक्ट्स प्रा.लिमि., मालनपुर, भिण्ड
4.	मेसर्स शारदा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, देवास
5.	मेसर्स एग्रो फॉस, देवास
6.	मेसर्स महाकाली फूड्स देवास (यूनिट-3)
7.	मेसर्स केशव इंडस्ट्रीज, देवास
8.	मेसर्स एस कुमार्स लिमि., देवास
9.	मेसर्स व्ही.व्ही. कामर्शियल, देवास (यूनिट-2)
10.	मेसर्स राजाराम एंड ब्रदर्स, मंदसौर
11.	मेसर्स जाजू सर्जिकल, देवास
12.	मेसर्स एच.एण्ड आर. जानसन, देवास
13.	मेसर्स अविका मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट, देवास
14.	मेसर्स सिद्धी विनायक इण्ड., देवास
15.	मेसर्स जानडियर, देवास
16.	मेसर्स अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई, जिला अनूपपुर
17.	मेसर्स जियो पेट्रोलियम लिमि., जिला शहडोल
18.	मेसर्स रिलायंस इण्ड.लिमि., सोहागपुर बेर्स्ट, जिला शहडोल
19.	मेसर्स होटल राजमहल ओरछा, जिला टीकमगढ़
20.	मेसर्स होटल अमर महल, ओरछा, जिला टीकमगढ़
21.	मेसर्स बुन्देलखण्ड मैडीकल कॉलेज, सागर
22.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट, यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि., जिला रीवा
23.	मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा, जिला रीवा
24.	मेसर्स विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, विन्ध्यनगर, फेज-3, जिला सिंगरौली
25.	मेसर्स हिण्डाल्को इण्ड.लिमि., सिंगरौली
26.	मेसर्स एसरार एम.पी. पॉवर कंपनी लिमिटेड, सिंगरौली
27.	मेसर्स जयन्त परियोजना, नार्दन कौलफील्ड लिमि., सिंगरौली
28.	मेसर्स दीपक फास्टन लिमिटेड, सीहोर
29.	मेसर्स ट्राईडेन्ट लिमिटेड, बुधनी, जिला सीहोर
30.	मेसर्स रुचि लाईफ स्केप्स द्वारा मेसर्स ब्राइट स्टार इन्फा. प्रा.लि., भोपाल



31.	मेसर्स भोपाल डेयरी प्लांट, भोपाल
32.	मेसर्स मनोहर फूड्स, औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
33.	मेसर्स विन-विन आटोमोबाईल्स प्रा.लिमि., मिसरोद वर्कशॉप, भोपाल
34.	मेसर्स शिरानी आटोमोबाईल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
35.	मेसर्स साई छाया आटोलिंक प्रा. लिमि., औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
36.	मेसर्स राजपाल अभिकरण, होशंगाबाद रोड, भोपाल
37.	मेसर्स माई कार प्राइवेट लिमिटेड, औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
38.	मेसर्स सत्यम् मोटर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
39.	मेसर्सएक्सल व्हीकल्स प्रा.लि., होशंगाबाद रोड, भोपाल
40.	मेसर्स आर.एम.जे. मोटर्स प्रा.लि., जे.के. रोड, औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
41.	मेसर्स जीवन मोटर्स प्रा.लि., औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
42.	मेसर्स टी.व्ही.एस. सुन्दरम् आयन्नर एण्ड सन्स, सुल्तानिया रोड, भोपाल
43.	मेसर्स सी.आई. आटोमोबाईल्स प्रा.लि., जिन्सी जहाँगीराबाद, भोपाल
44.	मेसर्स सुपर आटोमोबाईल्स, जे.के. रोड, औंक्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
45.	मेसर्स सांधी ब्रदर्स, लालघाटी, हलालपुरा, भोपाल
46.	मेसर्स यूनी डायर्केम, औंक्षे. कोसमी, वैतूल
47.	मेसर्स नेशनल इण्डस्ट्रीज, औंक्षे. मण्डीदीप, रायसेन
48.	मेसर्स रेनबो लेब, औंक्षे. मण्डीदीप, रायसेन
49.	मेसर्स पी एण्ड जी लिमिटेड, औंक्षे. मण्डीदीप, रायसेन
50.	मेसर्स रेमण्ड लिमि.सौंसर, छिंदवाड़ा
51.	मेसर्स भंसाली इंजीनियरिंग पालीमर लिमि., सौंसर, छिंदवाड़ा
52.	मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमि., छिंदवाड़ा
53.	मेसर्स नंदन कोल वॉशरी, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, दमुआ, छिंदवाड़ा
54.	मेसर्स मोहन मोरी यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
55.	मेसर्स झरना यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
56.	मेसर्स तानसी यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
57.	मेसर्स महादेवपुरी यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
58.	मेसर्स गणपति यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
59.	मेसर्स विष्णुपुरी-१, यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
60.	मेसर्स विष्णुपुरी-२, यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
61.	मेसर्स शिवपुरी ओपन कॉस्ट कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
62.	मेसर्स मथानी, यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
63.	मेसर्स ठिसगोरा, यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
64.	मेसर्स उरधन, ओपन कॉस्ट कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
65.	मेसर्स नेहरिया, यू.जी. कौल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पैच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
66.	मेसर्स अडानी विल्मर लिमि.
67.	मेसर्स अनिल लाईफ साइंस प्रा.लिमि.
68.3	मेसर्स एन पंजाब शुगर
69.	मेसर्स राजीव चड्डा माइन्स, सिहोरा, जिला जबलपुर
70.	मेसर्स कमल लाइम आयरन और माइन दर्शनी-सिहोरा, जिला जबलपुर
71.	मेसर्स झाबुआ पॉवर बरेला, जिला सिवनी



72. मेसर्स वंशिका शुगर मिल, करेली, जिला नरसिंहपुर
73. मेसर्स आकृति शुगर मिल, जिला नरसिंहपुर
74. मेसर्स रेवाकृष्णा शुगर मिल, शाहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर
75. मेसर्स भोपाल ग्लू एंड केमिकल्स प्रा.लिमि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
76. मेसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरी प्रा.लिमि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
77. मेसर्स रुचि सोया, कुसमुण्डा, जिला गुना
78. मेसर्स जे.के. फाईल, पीथमपुर, जिला धार
79. मेसर्स मोहनी फाईबर, पीथमपुर, जिला धार
80. मेसर्स आर.एस.पी.एल. इकाई-4, पीथमपुर, जिला धार
81. मेसर्स मध्यप्रदेश वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (रामकी), पीथमपुर, जिला धार
82. मेसर्स महिमा प्योरस्पन, पीथमपुर, जिला धार
83. मेसर्स आर.ए.एस.एल., घाटाबिल्लौद, जिला धार
84. मेसर्स रिट स्पिन इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर, जिला धार
85. मेसर्स एल.एण्ड टी. इसीसी डिवीजन, पीथमपुर, जिला धार
86. मेसर्स तिरुपति स्टार्च एण्ड केमिकल, पीथमपुर, जिला धार
87. मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स, बदनावर, जिला धार
88. मेसर्स टी.जी.डब्ल्यू. एसईजे.ड, पीथमपुर, जिला धार
89. मेसर्स सिपला लिमि., एसईजे.ड, पीथमपुर, जिला धार
90. मेसर्स शक्ति पम्प लिमि., एसईजे.ड, पीथमपुर, जिला धार
91. मेसर्स नमोकार रेपेसलिटी प्रा.लिमि., पीथमपुर, जिला धार
92. मेसर्स बायोफिल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स, पीथमपुर, जिला धार
93. मेसर्स गुप्ता हॉस्पिटल, धार
94. मेसर्स एग्रोफास इंडिया लिमि., मेघनगर, जिला झावुआ
95. मेसर्स मराल ओवरसीज, निमरानी, जिला खरगोन
96. मेसर्स आकाश ग्लोबल प्रा.लिमि., यूनिट-2, ग्राम कुमेड़ी, तहसील सांवर, जिला इन्दौर
97. मेसर्स टेथ्या फूड्स, ग्राम अवलाय, तहसील महू, जिला इन्दौर
98. मेसर्स सीताश्री फूड, ग्राम बरलाई जागीर, तहसील सांवर, जिला इन्दौर
99. मेसर्स इंडियन सोया इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र सांवर रोड, इन्दौर
100. मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लाट, ग्राम मूदी, जिला खण्डवा
101. मेसर्स जश इंजीनियरिंग, यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र, सांवर रोड, इन्दौर
102. मेसर्स बैम्बिनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमि., ग्राम सेजवानी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर
103. मेसर्स अक्षत एग्रो, ग्राम निमरानी, जिला खरगोन
104. मेसर्स रिलायंस सीमेंट प्रा.लिमि., भरौली, मैहर, जिला सतना



वर्ष 214-15 में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1.	मेसर्स के.पी.एस. बामौर, मुरैना
2.	मेसर्स एग्रो फॉस लिमि., देवास
3.	मेसर्स विप्पी इण्ड., देवास
4.	मेसर्स कृति इण्ड., देवास
5.	मेसर्स अनिक इण्ड., देवास
6.	मेसर्स जानडियर, देवास
7.	मेसर्स अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई, जिला अनूपपुर
8.	मेसर्स जे.पी. बीना थर्मल पॉवर प्लाट, बीना, जिला सागर
9.	मेसर्स कृष्णा क्रसिंग प्लाट, ग्राम बेला बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
10.	मेसर्स ललित स्टोन केशर, ग्राम नौबस्ता, तहसील हुजूर, जिला रीवा
11.	मेसर्स लक्ष्मी स्टोन केशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
12.	मेसर्स मॉ वैष्णव स्टोन केशर, ग्राम पहड़िया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
13.	मेसर्स महालक्ष्मी स्टोन केशर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
14.	मेसर्स महिमान स्टोन केशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
15.	मेसर्स मारुती नंदन स्टोन केशर, ग्राम सगरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
16.	मेसर्स प्रकाश स्ट्रक्चरल इंटरप्राइजेज, ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
17.	मेसर्स आर.के. मिनिरल्स, ग्राम सुमेदा, पोस्ट विहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
18.	मेसर्स रघु स्टोन केशर, ग्राम कौआढान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
19.	मेसर्स शिवशक्ति स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
20.	मेसर्स श्री झोन केशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
21.	मेसर्स गुरुजी स्टोन केशर, ग्राम बेला बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
22.	मेसर्स अमर स्टोन केशर, ग्राम भलुहा, पोस्ट रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
23.	मेसर्स छायारानी सोहगौरा स्टोन केशर, ग्राम कपसा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा
24.	मेसर्स अभिशेष स्टोन केशर, ग्राम खमरिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
25.	मेसर्स मॉ शक्ति क.स्टोन केशर, ग्राम नवागाँव, तहसील हुजूर, जिला रीवा
26.	मेसर्स प्रताप मिनिरल्स स्टोन केशर, ग्राम हर्री प्रताप सिंह, तहसील हनुमना, जिला रीवा
27.	मेसर्स ओम स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
28.	मेसर्स प्रदीप सिंह स्टोन केशर, ग्राम कुंइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
29.	मेसर्स न्यू सांई स्टोन केशर, ग्राम कचूर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
30.	मेसर्स रुद्र स्टोन केशर, ग्राम रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
31.	मेसर्स रामेश्वरम स्टोन केशर, ग्राम दादर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
32.	मेसर्स सिमता स्टोन केशर, ग्राम बनकुइयॉ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
33.	मेसर्स आर.के. स्टोन केशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा



34.	मेसर्स जी.वी.आर. कंपनी लिमि, ग्राम हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा
35.	मेसर्स महामाया मिनिरल्स स्टोन केशर, ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
36.	मेसर्स जय हनुमान स्टोन केशर, ग्राम अतरैली, तहसील हुजूर, जिला रीवा
37.	मेसर्स मॉ स्टोन केशर, ग्राम कौआढ़ान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
38.	मेसर्स त्रिवेणी स्टोन केशर, ग्राम बनकुंडिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
39.	मेसर्स सोहगौरा स्टोन केशर, ग्राम बनकुंडिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
40.	मेसर्स सुभद्रा स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
41.	मेसर्स डाला स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम लौआ, मायापुर, सीधी
42.	मेसर्स रिह स्टोन केशर, ग्राम शिवपुरवा, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
43.	मेसर्स अजय स्टोन केशर, ग्राम जमोड़ी कला, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
44.	मेसर्स जी.वी. स्टोन केशर, ग्राम जेदुआ, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
45.	मेसर्स गंगा स्टोन केशर, ग्राम कुनझुन खुर्द, तहसील सिहावल, जिला सीधी
46.	मेसर्स ज्योति स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
47.	मेसर्स विनोद सिंह स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
48.	मेसर्स विकास इण्ड स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
49.	मेसर्स विनोद सिंह स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
50.	मेसर्स प्रेमकान्ता स्टोन केशर, यूनिट-2, ग्राम कठोतहा (अकौरी), तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
51.	मेसर्स परफीसियट इंडिया स्टोन केशर, ग्राम नवगमो, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
52.	मेसर्स विकास इण्ड स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
53.	मेसर्स विनोद सिंह स्टोन केशर, ग्राम डिंडिया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
54.	मेसर्स जे.पी. वेला सीमेंट प्लांट, जे.पी. पुरम, रीवा
55.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट प्लांट, जे.पी. विहार, सीधी
56.	मेसर्स हिण्डाल्को इण्ड. लिमि, सिंगरौली
57.	मेसर्स एस्सार एम.पी. पॉवर कंपनी लिमि, सिंगरौली
58.	मेसर्स सासन पॉवर लिमि, सिंगरौली
59.	मेसर्स जयप्रकाश पॉवर वैचर लिमि, निगरी सरई, सिंगरौली
60.	मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड, बुधनी, जिला सीहोर
61.	मेसर्स भोपाल डेयरी प्लांट, भोपाल
62.	मेसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन (250 मेगावाट ग 2 नग), एमपीपीजीसीएल, सारणी, जिला बैतूल
63.	मेसर्स लक्ष्मी फेब्रीकेट्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
64.	मेसर्स पूनम इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
65.	मेसर्स जे.के. फेब्रीकेट्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
66.	मेसर्स अभिषेक इटरप्राईजेस, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
67.	मेसर्स ए.एस. इंटरप्राईजेस, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
68.	मेसर्स राज विलास इंटरप्राईजेस, ग्राम दीपडी, भोजपुर रोड, जिला भोपाल
69.	मेसर्स ट्रान्सट्राय इण्डिया लिमिटेड, ग्राम परवलिया सड़क, जिला भोपाल
70.	मेसर्स ट्रान्सट्राय इण्डिया लिमिटेड, ग्राम डिरनिया, जिला भोपाल
71.	मेसर्स सूद स्टोन क्रशर, सरवर, भोपाल
72.	मेसर्स राम स्टोन क्रशिंग कंपनी, परवलिया सड़क, भोपाल
73.	मेसर्स फेन्ड्स एसोसियेट स्टोन क्रशर, मालीखेड़ी, भोपाल
74.	मेसर्स मॉ शक्ति स्टोन क्रशर यूनिट 2, रसूलिया पठार, भोपाल



75.	मेसर्स श्रीनिवास स्टोन क्रशर, छापरी, भोपाल
76.	मेसर्स शिव स्टोन क्रशर, परवलिया सड़क, भोपाल
77.	मेसर्स गोविंद सिंह यादव स्टोन क्रशर, छापरी, भोपाल
78.	मेसर्स संजय पाराशर स्टोन क्रशर, छापरी, भोपाल
79.	मेसर्स वैष्णव स्टोन क्रशर, सरवर, भोपाल
80.	मेसर्स जहीर उद्दीन कुरैशी स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर भोपाल
81.	मेसर्स सेफायर माईन्स स्टोन क्रशर, नीलबड़, भोपाल
82.	मेसर्स स्टेग इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
83.	मेसर्स रामचन्द्र प्रेमचन्द्रानी स्टोन क्रशर, परवलिया सड़क, भोपाल
84.	मेसर्स रफत सईद खो स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
85.	मेसर्स शुभ स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
86.	मेसर्स त्रिशूल ब्लैक मेटल स्टोन क्रशर, सरवर, भोपाल
87.	मेसर्स परमजीत सिंह कालरा स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
88.	मेसर्स महाकालेश्वर मैन्टल रिसोर्सेज प्रा.लि. स्टोन क्रशर, वरखेड़ानाथू, भोपाल
89.	मेसर्स आदिनाथ स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
90.	मेसर्स भूपेश गौर स्टोन क्रशर, मलीखेड़ी, भोपाल
91.	मेसर्स श्रीमती रितु अवस्थी स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
92.	मेसर्स सुमित पचौरी स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
93.	मेसर्स सुशील सुडेले स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
94.	मेसर्स परमानन्द पाटीदार स्टोन क्रशर, वरखेड़ानाथू, भोपाल
95.	मेसर्स ओम श्रिंग स्टोन क्रशर, रसूलिया पठार, भोपाल
96.	मेसर्स राजीव शुक्ला स्टोन क्रशर, शाहपुर, भोपाल
97.	मेसर्स भारत शुक्ला स्टोन क्रशर, शाहपुर, भोपाल
98.	मेसर्स अनीश अहमद स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
99.	मेसर्स संतोष मेहरा स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
100.	मेसर्स समृद्धि स्टोन क्रशर, खादमपुर, भोपाल
101.	मेसर्स सहयोग मेटल स्टोन क्रशर, वरखेड़ानाथू, भोपाल
102.	मेसर्स जे.एस.एम. इन्फास्ट्रक्चर स्टोन क्रशर, हिनौती सड़क, भोपाल
103.	मेसर्स विशाल शिवहरे स्टोन क्रशर, दिल्लोद, भोपाल
104.	मेसर्स अनिल शर्मा स्टोन क्रशर, दिल्लोद, भोपाल
105.	मेसर्स आस्था स्टोन क्रशर, रतुआ रतनपुर, भोपाल
106.	मेसर्स परम स्टोन क्रशर, खादमपुर, भोपाल
107.	मेसर्स विशाल स्टोन क्रशर, नीलबड़, भोपाल
108.	मेसर्स रिजवान खान स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
109.	मेसर्स सिंह विजर्नेस सेन्टर स्टोन क्रशर, चांदबड़ कदीम, भोपाल
110.	मेसर्स महाकाल स्टोन क्रशर, मालीखेड़ी, भोपाल
111.	मेसर्स जी.के. मैटल्स स्टोन क्रशर, मालीखेड़ी, भोपाल
112.	मेसर्स जे.एम.के. इन्फार्मेंचर प्रा.लि. स्टोन क्रशर, मालीखेड़ी, भोपाल
113.	मेसर्स राजश्री यादव स्टोन क्रशर, रसूलिया पठार, भोपाल
114.	मेसर्स सरन इस्पात प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
115.	मेसर्स ई.एम.एस. वैटरी एण्ड एलाईंड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन



116. मेसर्स विपुल फूड्स, औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
117. मेसर्स ओम साई पम्प रपेयर्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
118. मेसर्स काकडा स्टील प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
119. मेसर्स सतरंग स्टील एलायज प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
120. मेसर्स जाहनवी इस्पात प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
121. मेसर्सएल.एम. बैकर्स, औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
122. मेसर्स स्पेशियलिटी आर्गेनिक्स, औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
123. मेसर्स मुकेश कुमार खण्डेलवाल स्टोन क्रशर, नाहिया, बैतूल
124. मेसर्स महेन्द्र मालवीय स्टोन क्रशर, नाहिया, बैतूल
125. मेसर्स राजेन्द्र सिंह किल्लेदार स्टोन क्रशर, नगर कोट, बैतूल
126. मेसर्स विशाल अग्रवाल स्टोन क्रशर, फूलगोहान, बैतूल
127. मेसर्स सैयद तकीउल हसन रिजवी स्टोन क्रशर, सोमलापुर, बैतूल
128. मेसर्स मीरा बोड्के स्टोन क्रशर, हरदौली, बैतूल
129. मेसर्स सतीष धाड़से स्टोन क्रशर, गुदगाँव, बैतूल
130. मेसर्स तपन विश्वास स्टोन क्रशर, आमडोह, बैतूल
131. मेसर्स जय अम्बे स्टोन क्रशर, नायक चारसी, बैतूल
132. मेसर्स भारती परसैया स्टोन क्रशर, महारपानी, बैतूल
133. मेसर्स कौशल्या देशमुख स्टोन क्रशर, मालेगाँव, बैतूल
134. मेसर्स बालाजी स्टोन क्रशर, नायक चारसी, बैतूल
135. मेसर्स सारिका भावसर स्टोन क्रशर, गोराखार, बैतूल
136. मेसर्स चौहान स्टोन क्रशर, धूङ्गियानई, बैतूल
137. मेसर्स उपेन्द्र कुमार सुर्यवंशी स्टोन क्रशर, अम्बाडा, बैतूल
138. मेसर्स व्यंकटेश स्टोन क्रशर, कोयलबुड़डी, बैतूल
139. मेसर्स हेमन्त बागदे स्टोन क्रशर, मण्डवा, बैतूल
140. मेसर्स रमेश राठोर स्टोन क्रशर, खेड़ीसावलीगढ़, बैतूल
141. मेसर्स अडानी विल्मोरे लिमिटेड
142. मेसर्स रेमण्ड लिमि.सैंसर, छिंदवाड़ा
143. मेसर्स भंसाली इजीनियरिंग एण्ड पोलीमर लिमिटेड, सैंसर, छिंदवाड़ा
144. मेसर्स नंदन कोल चौशरी, डब्ल्यू.सी.एल.-कन्हान एरिया, दमुआ, छिंदवाड़ा
145. मेसर्स मोहन मोरी यू.जी कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
146. मेसर्स मोहन मोरी यू.जी कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
147. मेसर्स झारना यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
148. मेसर्स तानसी यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, जामई, छिंदवाड़ा
149. मेसर्स महादेवपुरी यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
150. मेसर्स विष्णुपुरी-1 यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
151. मेसर्स विष्णुपुरी-2 यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
152. मेसर्स शिवपुरी ओपन कॉर्स्ट कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
153. मेसर्स मथानी यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
154. मेसर्स ठिसगौरा यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
155. मेसर्स उरधन ओपन कॉर्स्ट कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
156. मेसर्स नेहरिया यू.जी. कोल माइन, डब्ल्यू.सी.एल., पेंच एरिया, परासिया, छिंदवाड़ा
157. मेसर्स करेली शुगर मिल, जिला नरसिंहपुर



158.	मेसर्स वंशिका शुगर मिल, जिला नरसिंहपुर
159.	मेसर्स कृष्णा बैल्ट
160.	मेसर्स कृष्णा पिंग एलाय, छिंदवाड़ा
161.	मेसर्स आर.एच. सॉल्वेक्स
162.	मेसर्स वशुद्ध मिनरल्स मालेगांव
163.	मेसर्स सकाम्बरी मिनरल, छिंदवाड़ा
164.	मेसर्स मुरलीधर मिनरल्स, मालेगांव, छिंदवाड़ा
165.	मेसर्स पैसीफिक एक्सपोर्ट, सिहोरा, जिला जबलपुर
166.	मेसर्स आनंद माइनिंग कार्पोरेशन, सिहोरा, जिला जबलपुर
167.	मेसर्स एस.एस. इंटरप्राइजेस, जबलपुर
168.	मेसर्स राजीव चड्डा बैनीफिकेशन प्लांट, सिहोरा, जिला जबलपुर
169.	मेसर्स गायत्री देवी बंसल, सिहोरा, जिला जबलपुर
170.	मेसर्स नर्मदा जिलेटिन, जबलपुर
171.	मेसर्स झावुआ पॉवर, सिवनी
172.	मेसर्स आकृति शुगर मिल, नरसिंहपुर
173.	मेसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा, राघोगढ़, जिला गुना
174.	मेसर्स रुचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि., कुसमीदा, जिला गुना
175.	मेसर्स टाटा स्टील लिमि., पीथमपुर, जिला धार
176.	मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स, बदनावर, जिला धार
177.	मेसर्स नेशनल स्टील (सीजीएल डिवीजन), घाटाविल्लौद, जिला धार
178.	मेसर्स ग्रेट गैलियन लिमि., घाटाविल्लौद, जिला धार
179.	मेसर्स केसर इस्पात, पीथमपुर, जिला धार
180.	मेसर्स जे.के. फाईल (रेमण्ड), पीथमपुर, जिला धार
181.	मेसर्स अम्बिका डेकोर, पीथमपुर, जिला धार
182.	मेसर्स वराक पॉलीमर्स, पीथमपुर, जिला धार
183.	मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमि., यूनिट-2, पीथमपुर, जिला धार
184.	मेसर्स मनीष एग्रोटेक, पीथमपुर, जिला धार
185.	मेसर्स राज पायरोविजन, घाटाविल्लौद, जिला धार
186.	मेसर्स शिवसांई स्टोन कशर, कुक्षी, जिला धार
187.	मेसर्स मंगलम स्टोन कशर, कुक्षी, जिला धार
188.	मेसर्स अग्रवाल स्टोन कशर, खेड़ा, पीथमपुर, जिला धार
189.	मेसर्स माँ भगवती स्टोन कशर, सरदारपुर
190.	मेसर्स तिरुपति स्टोन कशर, जिला धार
191.	मेसर्स बाबा स्टोन कशर, कुक्षी, जिला धार
192.	मेसर्स गौरीशंकर पाटीदार स्टोन कशर, मनावर, जिला धार
193.	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज
194.	मेसर्स शीतल इण्डस्ट्रीज, मेघनगर, जिला झावुआ
195.	मेसर्स कष्टभजन इंटरप्राइजेस, मेघनगर, जिला झावुआ
196.	मेसर्स एग्रोफास (इ) लिमि., मेघनगर, जिला झावुआ
197.	मेसर्स आकाश ग्लोबल प्रा.लिमि., यूनिट-2, ग्राम कुमेडी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर
198.	मेसर्स सीताश्री फूड, ग्राम बरलाई जागीर, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर



- | | |
|------|---|
| 199. | मेसर्स इंडियन सोया इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र सावेर रोड, इन्दौर |
| 200. | मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्लाट, ग्राम मूदी, जिला खण्डवा |
| 201. | मेसर्स जश इंजीनियरिंग, यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र, सावेर रोड, इन्दौर |
| 202. | मेसर्स सेसई फूड्स लिमि., सेजवानी, जिला इन्दौर |



प्रकाशन

1. धरोहर समाचार पत्रिका

शोध पत्रों का प्रकाशन

Report : Study of Trihalomethans in chlorinated drinking water of Jabalpur city.

- Report: सिंगरौली क्षेत्र में मर्करी प्रदूषण पर अध्ययन
- Interim report of Biomonitoring of River Narmada
- Study of Macrozoobenthos as bioindicator of River Narmada, Proc: National conference on Emerging Trends in Biological Sciences, February 2015.
- Biomonitoring of River Narmada in Madhya Pradesh, India, Proc: National conference on Emerging Trends in Biological Sciences, February 2015.